वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन

Annual Administrative Report

2019

राज्य विधि विज्ञान निदेशालय

गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर

क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला
बीकानेर

क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला
अजमेर

फोरेंसिक ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च
इंस्टीट्यूट, जयपुर

लक्ष्य

अत्याधुनिक तीव्रतर वैज्ञानिक तकनीकों से अपराध के अकाट्य साक्ष्य उपलब्ध करवाकर आपराधिक न्याय प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना।

भावी दृष्टि

अपराधी के तेजी से बढ़ते हुए संसाधन, कौशल, चातुर्य एवं निपुणता को दृष्टिगत रखते हुए अत्याधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों से विधि विज्ञान प्रयोगशाला का निरन्तर तकनीकी सुदृढ़ीकरण किया जाना, जिससे अपराधी की शीघ्रातिशीघ्र पहचान सुनिश्चित की जा सके। भौतिक साक्ष्य के फोरेंसिक महत्त्व से पुलिस, अभियोजन व न्यायपालिका को अभिज्ञानित कराना ताकि अपराध उन्मूलन में प्रभावी योगदान देते हुए अपराध सिद्धि की दर में वृद्धि हो सके।

अनुक्रमणिका

क.सं.	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
1.	सार संक्षेपः वैधानिक स्थिति, कार्य प्रणाली एवं प्रशासनिक परिदृश्य	2–3
2.	प्रकरणों का निष्पादन	3
3	तकनीकी सुदृढ़ीकरण, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास	3–9
4.	राज्य विधि विज्ञान निदेशालयः अपराध अनुसंधान में महत्त्वपूर्ण भूमिका	10
5.	ऐतिहासिक पृष्ठभूमिः चरणबद्ध विकास	11
6.	संगठनात्मक चार्ट	12
7.	संगठनात्मक स्वरूप	13
8.	नियमित बजट एवं आधुनिकीकरण योजना अन्तर्गत राशि	14
9.	प्रकरण सांखिकी	15–16
10.	महत्त्वपूर्ण प्रकरण	17–22
11.	घटना स्थल निरीक्षण : कुछ महत्त्वपूर्ण प्रकरण	22–26
12.	राज्य विधि विज्ञान निदेशालय की विभिन्न प्रयोगशालाओं एवं जिला मोबाइल फोरेंसिक यूनिट्स का पता एवं दूरभाष	27–29
13.	वर्ष 2019 में क्रय, रिपेयर/अपग्रेडेशन व ए.एम.सी. उपकरणों की सूची	30
14.	विशेष पहल एवं वर्ष 2019 की प्रमुख उपलब्धियाँ	31
15.	भविष्य की योजना	31

सार संक्षेप : राज्य विधि विज्ञान निदेशालय
वैधानिक स्थिति, कार्यप्रणाली एवं प्रशासनिक परिदृश्य

वैधानिक स्थिति

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 45 : न्यायालय को तकनीकी प्रश्नों पर तथ्यात्मक निष्कर्ष एवं विवरण प्रस्तुत करने हेतु विशेषज्ञ राय विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है।

राजकीय फोरेंसिक विशेषज्ञ द्वारा प्रस्तुत परीक्षण रिपोर्ट दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 293 के अन्तर्गत बिना व्यक्तिगत उपस्थिति के न्यायालय की कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में मान्य है। धारा 293 (4) में किसी केन्द्रीय अथवा राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला के निदेशक, उपनिदेशक एवं सहायक निदेशक को राजकीय वैज्ञानिक विशेषज्ञ के रूप में परिभाषित किया गया है।

फोरेंसिक विशेषज्ञः एफ.एस.एल. में विज्ञान की विभिन्न विधाओं में विशिष्ट शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव धारित व्यक्ति ही विशेषज्ञ हैं। विशिष्ट योग्यताधारित अपराध की विशेषज्ञ भौतिक साक्ष्यों का वैज्ञानिक विश्लेषण कर फोरेंसिक रिपोर्ट देते हैं जो संबंधित जांच एजेन्सी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है।

कार्यप्रणाली

पारदर्शिता व गुणवत्ता बनाये रखने के लिये घटनास्थल व प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों द्वारा एक 'टीम वर्क' के रूप में निम्न कार्य सम्पादित किये जाते हैं:–

1. अपराध की वैज्ञानिक साक्ष्यों की पहचान हेतु घटनास्थल का निरीक्षण।
2. जाँच अधिकारी को भौतिक साक्ष्य के वैज्ञानिक महत्व व इससे प्राप्त होने वाली साक्ष्य बाबत् जागरूक करना।
3. घटनास्थल, संदिग्ध/आरोपी एवं पीड़ित से प्राप्त अपराध प्रादर्शों का वैज्ञानिक विश्लेषण कर परीक्षण रिपोर्ट प्रदान करना।
4. वैज्ञानिक साक्ष्यों को श्रृंखलाबद्ध कर अपराध कारित करने की विधि व उद्देश्य का खुलासा करने में योगदान।
5. विभिन्न न्यायालयों में साक्ष्य प्रस्तुतीकरण।

इसके अतिरिक्त प्रयोगशाला के विशेषज्ञों द्वारा पुलिस तथा न्यायिक अधिकारियों को अपराध अनुसंधान सम्बंधी प्रशिक्षण/ व्याख्यान दिये जाते हैं जिससे प्रयोगशाला द्वारा अपराध अनुसंधान में दी जा रही सहायता की महत्वपूर्ण जानकारी दी जा सकें ।

प्रयोगशाला में प्रादर्शों का परीक्षण एवं विश्लेषण कार्य विभिन्न विषयों से सम्बंधित अनुभागों में उनके लिए ''डायरेक्ट्रेट ऑफ फोरेंसिक साईन्स सर्विसेज, गृह मंत्रालय, भारत सरकार '' द्वारा निर्धारित मेनुअल्स के अनुसार पूर्ण गोपनीयता एवं निष्पक्षता के साथ किया जाता है। प्रत्येक अनुभाग स्तर पर प्रशासनिक एवं वैज्ञानिक कार्यों का पर्यवेक्षण सहायक निदेशक/उपनिदेशक द्वारा किया जाता है। सहायक निदेशक, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक/ कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक, प्रयोगशाला सहायक एवं अन्य सहायक स्टाफ को मिलाकर एक वर्किंग यूनिट का गठन किया जाता है।

एफ.एस.एल. में प्रकरणों के परीक्षण का कार्य सामान्यतः ''फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व'' आधार पर किया जाता है। विशेष परिस्थितियों जैसे न्यायालय में केस की सुनवाई निर्णय की स्टेज पर होने, आरोपी के न्यायिक अभिरक्षा में होने या जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय में लम्बित होने, न्यायालय अथवा अनुसंधान की कार्यवाही बिना एफ.एस.एल. रिपोर्ट के आगे नहीं बढ़ पाने अथवा प्रकरण के सामाजिक तौर पर अतिसंवेदनशील होने के कारण कानून व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका के मामलों इत्यादि में प्राथमिकता पर भी परीक्षण किया जाता है। अति–संवेदनशील मामलों में प्राथमिकता पर परीक्षण की व्यवस्था भी रखी गई है। वैज्ञानिक जांच में लगने वाले समय को दृष्टिगत रखते हुए विशेषज्ञों द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि प्रकरण की रिपोर्ट शीघ्रातिशीघ्र दी जा सके।

प्रशासनिक परिदृश्य

जयपुर मुख्यालय पर उच्च तकनीकी व आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों से सुसज्जित राजस्थान की मल्टीडिस्प्लीनरी प्रयोगशाला एवं समस्त संभागों पर स्थित क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं का प्रशासनिक नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण निदेशक द्वारा किया जाता है।

वर्ष 2006 से प्रयोगशाला राज्य सरकार के गृह विभाग के नियंत्रणाधीन कार्य कर रही है एवं वर्ष 2010 में निदेशक को विभागाध्यक्ष के रूप में अधिसूचित किया जा चुका है। क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं के सामान्य प्रशासनिक कार्य अतिरिक्त निदेशक/ उपनिदेशक स्तरीय अधिकारियों द्वारा सम्पादित किये जाते है।

वर्तमान में जयपुर मुख्यालय पर निदेशालय राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला एवं अन्य सभी संभागीय मुख्यालयों –जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर व भरतपुर पर क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालायें तथा राज्य के समस्त जिला मुख्यालयों पर 34 जिला मोबाईल फोरेंसिक यूनिट्स कार्य कर रही हैं। जयपुर स्थित शीर्षस्तरीय मुख्य प्रयोगशाला में विधि विज्ञान के 13 विषयों में, क्षेत्रीय स्तर की प्रयोगशालायें उदयपुर, जोधपुर व बीकानेर में 5, कोटा व भरतपुर में 4 व अजमेर में 3 खण्डों में परीक्षण की सुविधाओं की व्यवस्था है।

वैज्ञानिक एवं तकनीकी संवर्ग के कुल 422 पद स्वीकृत है, मंत्रालयिक एवं लेखा संवर्ग के 41, वाहन चालक एवं सहायक संवर्ग के 54 पद स्वीकृत है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी संवर्ग के वर्तमान में 214 पद रिक्त हैं जिन को भरे जाने की प्रक्रिया प्राथमिकता पर जारी है।

प्रकरणों का निष्पादन

राज्य विधि विज्ञान निदेशालय जयपुर एवं क्षेत्रीय स्तर की जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर एवं भरतपुर की क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं द्वारा वर्ष 2019 में 39,240 अपराध प्रकरणों के 1,79,324 प्रादर्शों का विभिन्न वैज्ञानिक विधियों से परीक्षण किया गया एवं फोरेंसिक रिपोर्ट्स उपलब्ध कराई गई। वर्ष भर ऐसे प्रकरणों की संख्या अधिक रही जिनमें अपराध के तरीके सामान्य से जटिल थे और सामाजिक तौर पर अधिक संवेदनशील थे। प्रकरणों के परीक्षण के आंकड़े परिशिष्ठ में खण्डानुसार दर्शाये गये हैं।

फोरेंसिक रिपोर्ट्स से जहां एक ओर अपराध अन्वेषण को दिशा देने में सहयोग प्रदान किया गया वहीं दूसरी ओर न्यायालयों में अभियुक्तों के विरूद्ध अपराध साबित करने में महत्त्वपूर्ण साक्ष्य उपलब्ध कराये गये हैं। राज्य के विभिन्न जिलों में न्यायालयों द्वारा एफ.एस.एल. की 'एक्सपर्ट रिपोर्ट' को भरोसेमंद मानकर महत्त्व देते हुए अपराधियों को सजा सुनाई हैं।

एफ.एस.एल. वैज्ञानिकों द्वारा वर्ष 2019 में कुल 1593 अपराध घटनास्थलों को निरीक्षण किया गया।

तकनीकी सुदृढ़ीकरण

राजस्थान के सभी जिलों के दूरस्थ क्षेत्रों में अपराध अनुसंधान में जाँच एजेन्सी को अपराध से सम्बंधित पुख्ता साक्ष्य उपलब्ध करवाने के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला का तीन चरणों में निम्नानुसार विकास हुआ है :–

प्रथम चरण:-

मुख्य प्रयोगशाला का सुदृढ़ीकरण किया गया है तथा नवीनतम तकनीक का निरन्तर समावेश किये जाने की प्रक्रिया जारी है।

विधि विज्ञान प्रयोगशाला ने उन्नत वैज्ञानिक सुविधाओं को विकसित किए जाने के फलस्वरूप न केवल तकनीकी श्रेष्ठता अर्जित की है अपितु अपने द्वारा जारी श्रेष्ठ एवं गुणवत्तायुक्त परीक्षण रिपोर्ट के कारण भारत की उच्च कोटि की अग्रणी प्रयोगशालाओं में अपना स्थान बना लिया है। वर्तमान में प्रयोगशाला आतंककारी, हिंसक, तस्करी, आर्थिक अपराध, घूसखोरी, भूमाफिया, जालसाजी, मादक, विस्फोटक, वन्यजीव अपराध, साइबर अपराध, जाली मुद्रा एवं अन्य संगठित अपराधों के प्रादर्शो की जाँच में सक्षम है।

प्रयोगशाला में सामान्य अपराधों की जाँच, भौतिक साक्ष्य एवं अन्य विवरण निम्न प्रकार है–

जैविक खण्ड

(1) जाँच की प्रकृतिः– बलात्कार, दुष्कर्म, हत्या, आत्महत्या, आग से जलने, डूबना, मृत्योपरान्त समयान्तराल, अपहरण, चोरी–डकैती के धारा 302, 307, 376, 377, 363, 366, 498ए, 304बी आईपीसी, 174, 176 सीआरपीसी से सम्बन्धित व एनडीपीएस एक्ट, आबकारी एक्ट, वन्य जीव संरक्षण एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट, राज. गोवंश संरक्षण एक्ट आदि से सम्बन्धित अपराध आदि।

रिसर्च माइक्रोस्कोप पर दुष्कर्म के प्रकरणों का परीक्षण

(2) भौतिक साक्ष्य :– वीर्य के धब्बे युक्त कपड़े, वेजाइनल व यूरेथ्रल स्वाब–स्मीयर, बाल, सिगरेट, बीड़ी, गुटका आदि पर लार, अस्थियाँ, दाँत, कपाल, नाखून, त्वचा, उल्टी, माहवारी रक्त, गर्भपात के समय का रक्तस्राव, भ्रूण, विसरा में डायटम, नारकोटिक पौधे जैसे भाँग–गाँजा, डोडा पोस्त आदि, नकली सिगरेट, बीड़ी, गुटका के तम्बाकू, नकली चाय, कीटों, वानस्पतिक पदार्थ जैसे पत्तियां, रेशे, लकड़ी, बीज, परागकण आदि, पक्षियों के अंग, जन्तुओं के मांस, बाल, हड्डियां, खुर, सींग, चमड़ा, हाथी दाँत आदि।

(3) उपकरणः– हाईरिजोल्यूशन कम्प्यूटराइज्ड रिसर्च माइक्रोस्कोप, सुपर इम्पोजीशन डिवाइस, हाईरिजोल्यूशन कम्प्यूटराइज्ड स्टीरियो जूम माइक्रोस्कोप, सेन्ट्रीफ्यूज मशीन, माईक्रोटोम, ऑवेन, इन्क्यूबेटर, डीप फ्रीजर आदि।

स्टेरियोजूम माइक्रोस्कोप पर वन्य जीव प्रादर्शो का विश्लेषण

सीरम खण्ड

(1) जाँच की प्रकृतिः– रक्त से सम्बन्धित हिंसक अपराध, हत्या, प्रहार, दुष्कर्म, नवजात शिशु की अदला–बदली, संदिग्ध पैतृकता, वन्य जीव संरक्षण एक्ट, राजस्थान गोवंशीय संरक्षण एक्ट आदि की धारा 302, 307,323, 376, 377, 201 आईपीसी से सम्बन्धित अपराध इत्यादि ।

(2) भौतिक साक्ष्यः– शारीरिक द्रव जैसे रक्त, वीर्य, लार आदि लगे कपड़े, टीश्यू, अस्थियाँ, दाँत, बाल, सिगरेट–बीड़ी, गुटका पर उपस्थित लार, त्वचा, नाखून कतरन में उपस्थित रक्त व टीश्यू, मिट्टी एवं विभिन्न प्रकार के हथियार आदि।

(3) उपकरण :– माइक्रोस्कोप, ऑवेन, सेन्ट्रीफ्यूज मशीन, रेफ्रिजरेटर आदि।

रिसर्च माइक्रोस्कोप पर रक्त समूह की जाँच करते वैज्ञानिक

डी.एन.ए. फिंगरप्रिंटिग खण्ड

(1) जाँच की प्रकृतिः—हत्या, दुष्कर्म, सामूहिक बलात्कार, नवजात शिशु की अदला—बदली, संदिग्ध पैतृकता, व्यक्ति की सुनिश्चित पहचान, गुमशुदगी, बम विध्वंश, आतंकी एवं आपदा विध्वंशात्मक घटना, मानव तस्करी आदि से सम्बन्धित अपराध इत्यादि ।

डीएनए जीन सिक्वेंसर पर कार्य करते वैज्ञानिक

(2) भौतिक साक्ष्यः— शारीरिक द्रव जैसे रक्त, वीर्य, लार आदि लगे कपड़े, टीश्यू, अस्थियाँ, दाँत, बाल, सिगरेट—बीड़ी, गुटका, लिफाफा व च्यूइंगम पर उपस्थित लार, टूथब्रश, त्वचा, नाखून कतरन में उपस्थित रक्त व टीश्यू, भ्रूण, सड़े—गले, क्षत—विक्षत या आंशिक जले शव अवशेष से अथवा बम—विध्वंश के उपरांत प्राप्त शव के उत्तक—अंग, मिट्टी आदि।

(3) उपकरण :— ऑटोमेटेड डी.एन.ए. एक्सट्रेक्टर, पी.सी.आर., जेलडॉक सिस्टम, रियल टाइम पी.सी. आर, जीन सिक्वेंसर, रेफ्रीजरेटेड माइक्रोसेन्ट्रीफ्यूज मशीन, लेमीनर फ्लो, शेकिंग वाटरबाथ आदि।

साईबर फोरेन्सिक खण्ड

(1) जाँच की प्रकृतिः—इंटरनेट जनित ई—कॉमर्स सम्बन्धित आर्थिक अपराध, ई—बैंकिंग धोखाधड़ी, सोशल मीडिया पर होने वाले अपराध, तस्करों/ जासूसों / घुसपैठियों / आतंकियों से सम्बंधित संवेदनशील तथा राष्ट्रीय सुरक्षा से सम्बंधित अपराधों /साईबर अपराधों, महिला अशिष्ट निरुपेण, ब्लैकमैलिंग, मानहानी, डाटा हाईडिंग / टेंपरिंग / डिलीशन, फेक डॉक्यूमेंट, धोखाधड़ी, जुआ—सट्टेबाजी, हैकिंग, पोर्नोग्राफी, मनी लॉण्डरिंग, स्नीफिंग, स्टेग्नोग्राफी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट, जैसे साईबर अपराधों के अतिरिक्त विडियो ऑथेंटिकेशन, सीसीटीवी फूटेज तथा अन्य सामान्य अपराधों जिसमें प्रयुक्त कम्प्यूटर, मोबाईल तथा मेमोरी स्टोरेज मय इलेक्ट्रोनिक उपकरण/प्रोग्रामयुक्त इलेक्ट्रोनिक उपकरण आदि से सम्बंधित अपराध।

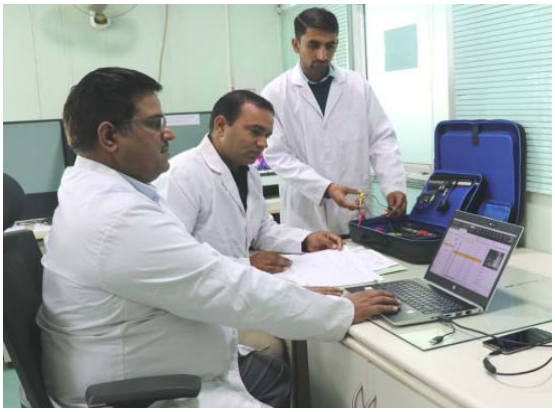

मोबाइल फोन फोरेंसिक एक्स आर वाई साफ्टवेयर पर डेटा का परीक्षण करते वैज्ञानिक

(2) भौतिक साक्ष्यः—साईबर/कम्प्यूटर क्राइम से सम्बन्धित समस्त प्रोगामयुक्त इलेक्ट्रॉनिक / मेमोरी स्टोरेजयुक्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कम्प्यूटर, लैपटॉप, मोबाईल फोन, टैबलेट सिमकार्ड, पेनड्राईव, मेमोरीकार्ड, मैग्नेटिक एवं ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन, ए.टी.एम. मशीन, मैग्नेटिक एवं इलेक्ट्रॉनिक कार्ड स्वैपिंग मशीन, सॉफ्टवेयर इत्यादि।

(3) उपकरणः— कम्प्यूटर फोरेंसिक सॉफ्टवेयर/ हार्डवेयर— एनकेस फोरेंसिक वर्जन 8.09, एफ.टी. के. इंटरनेशनल वर्जन 7.0, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन सॉफ्टवेयर, हाई स्पीड क्लोनर/इमेजिंग डिवाइस। मोबाईल फोरेंसिक सॉफ्टवेयर—एक्स. आर. वाई. वर्जन 8.2.2, मैगनेट एक्जीओम वर्जन 3.8, डीवीआर एक्जामिनर वर्जन 2.8.1 आदि।

भौतिक खण्ड

(1) जाँच की प्रकृतिः— वाहन चोरी, सेंधमारी, डकैती, लूट—पाट, अपहरण, औद्योगिक एवं वाहन दुर्घटना, हत्या, टक्कर मारकर भागना, सड़क, बाँध, पुल, भवन सामग्री में मिलावट, आगजनी एवं शॉर्ट सर्किट, आरपीजीओ, स्टिंग ऑपरेशन, भ्रष्टाचार प्रकरण, 420 आईपीसी जालसाजी, कापीराईट एक्ट।

सीएसएल उपकरण पर आवाज (वाणी) का विश्लेषण करते वैज्ञानिक

(2) भौतिक साक्ष्य :– मोटर कार, कॉंच, पेंट, मिट्टी, जूते/टायर निशान, औजार चिन्ह, रेशे, कपड़े, रस्सी, रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट से छेड़–छाड़, आग्नेय शस्त्र व वाहनों के इंजन/चेसिस नम्बर, नकली सामान, विद्युत आघात, विद्युत चोरी, अभियांत्रिक मशीन के भाग एवं औजार, भवन एवं औद्योगिक भवन का गिरना, सीमेंट कंकरीट, ईंट व अन्य सड़क सामग्री, सरिया, आवाज (ऑडियो) विश्लेषण द्वारा अपराधी की पहचान, फॉंसी फंदा, कट मार्क्स, जुआ खेल, आगजनी, कॉपी राईट आदि।

(3) उपकरणः– ग्रीम, स्केनिंग इलेक्ट्रोन माईक्रोस्कोप, एक्स.आर.एफ., कम्प्यूटराईज्ड स्पीच लैब (मॉडल–4500) आदि।

अस्त्रक्षेप खण्ड

(1) जाँच की प्रकृतिः– हत्या, हत्या का प्रयास, आत्महत्या, दुर्घटनावश गोली चलना, लूट–डकैती, अपहरण, दहशत फैलाना, डराना–धमकाना आदि।

ई.डी.एक्स उपकरण पर जाँच करते वैज्ञानिक

(2) भौतिक साक्ष्यः– विभिन्न आग्नेयास्त्र व उसके हिस्से, कारतूस, खोखा कारतूस, डॉट, छर्रे, बुलेट, बारूद, परकुशन कैप, टारगेट जहाँ पर छर्रे अथवा बुलेट लगी, देशी तमन्चा, आर्म्स एक्ट के हथियार इत्यादि।

(3) उपकरणः– ई.डी.एक्स., कम्पेरिजन माईक्रोस्कोप एवं वेलोसिटी मेजरिंग यूनिट आदि।

प्रलेख खण्ड

(1) जाँच की प्रकृतिः– भूमाफिया व जालसाजी, धोखाधड़ी, घोटाला, फिरौती, हत्या, बलात्कार, आत्महत्या, कापी–राइट एक्ट, ऑफीशियल सीक्रेट्स एक्ट।

आधुनिक रेगुला–4307 उपकरण से संदिग्ध दस्तावेज की जाँच करते वैज्ञानिक

(2) भौतिक साक्ष्यः– हस्तलेख, हस्ताक्षर, बैंक चेक, जायदाद खरीद/फरोख्त/हस्तांतरण संबंधी कागजात, टाइप लेख, दस्तावेजों में कांट–छांट, गुप्त लेख, रबर सील छाप, स्याही व कागज मिलान, जाली नोट, फोटोकापी मिलान, प्रिंटेड लेबल मिलान, वाहनों के रजिस्ट्रेशन व क्रय–विक्रय के पत्रादि, राशनकार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वीजा, स्टाम्प पेपर, क्रेडिट कार्ड इत्यादि।

(3) उपकरणः–स्टीरियो जूम माईक्रोस्कोप, वी.एस.सी. 6000, रेगुला–4307, यू.वी. उपकरण आदि।

नारकोटिक्स खण्ड

(1) जाँच की प्रकृतिः– एनडीपीएस एक्ट, एक्साईज एक्ट एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत जब्त नशीले एवं मादक पदार्थों से संबंधित प्रकरण।

यू.वी. विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पर विश्लेषण करते वैज्ञानिक

(2) भौतिक साक्ष्यः– 1.मादक पदार्थ :– डोडा पोस्त, अफीम तथा उससे निर्मित मादक पदार्थ जैसे स्मैक (ब्राउन शुगर या हेरोइन), चन्डू, मदक आदि। केनाबिस प्लांट प्रोडक्टस :– भाँग, गांजा, चरस आदि तथा कोकीन। 2.मनःप्रभावी पदार्थः– मैन्ड्रैक्स, मेथाक्यूलोन, बारबीच्यूरेट्स, बेन्जोडायजेपीन, केटामिन, एल.एस.डी., एम्फीटामिन्स आदि ड्रग्स। 3. प्रतिबंधित रसायन :– जैसे एसीटिक एनहाइड्राइड़, एन्थ्रेनेलिक एसिड, क्लोरो एसीटिक एसिड तथा मादक पदार्थों के व्युत्पन्न के निर्माण में प्रयुक्त रसायन।

(3) उपकरणः– जी.सी.मास, यू.वी. विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, आदि।

रसायन खण्ड

(1) जाँच की प्रकृतिः– अवैध शराब, शराब माफिया, जहरीली शराब त्रासदी, 16/54 व 19/54 आबकारी अधिनियम, रिश्वत, मिलावट, हत्या, तेजाब से जलाने के 7 पीसी(संशोधन) अधिनियम 2018, धारा 420, 302, 307 आईपीसी से सम्बन्धित प्रकरण, धोखाधड़ी आदि से सम्बन्धित प्रकरण।

(2) भौतिक साक्ष्यः– देशी व विदेशी शराब, अवैध शराब, तेजाब से जले कपड़े, साबुन, डिटर्जेंट पाउडर, ट्रेप घोल (ए.सी.बी. केसेज) आदि।

(3) उपकरणः–गैस क्रोमेटोग्राफ, यू.वी. विजिबल स्पक्ट्रोफोटोमीटर, डिजिटल बैलेंस, ओवन, मेल्टिंग पांइट उपकरण, डिस्टिलेशन उपकरण, आदि।

आर्सन एवं एक्सप्लोज़िव खण्ड

(1) जाँच की प्रकृतिः– आगजनी, धोखाधड़ी, दहेज हत्या व आवश्यक वस्तु 3/7 ई.सी. एक्ट, एक्सप्लोज़िव एक्ट, धारा 302, 307 आईपीसी आदि से सम्बन्धित प्रकरण।

गैस क्रोमेटोग्राफ पर पैट्रोलियम पदार्थ का विश्लेषण करते वैज्ञानिक

(2) भौतिक साक्ष्यः– ज्वलनशील पैट्रोलियम पदार्थ, विलायक (सॉल्वेन्ट), एक्सप्लोज़िव्स मोबिल ऑयल, दहेज हत्या व आगजनी, विस्फोटक पदार्थ, आई.ई.डी. व विस्फोट जनित अवशेष।

(3) उपकरणः–पेट्रोल एवं डीजल एनालाइजर, गैस क्रोमेटोग्राफ, फ्लेश पाइंट उपकरण आदि।

विष खण्ड

(1) जाँच की प्रकृतिः– हत्या, आत्महत्या, जहरखुरानी, दुर्घटना द्वारा मृत्यु जिसमें विष का संदेह हो, सर्पदंश, जन्तु विष, सामूहिक आपदा एवं 302, 328, 498ए, 304बी आईपीसी, 174, 176 सीआरपीसी, वन्य जीव एक्ट व राज. गोवंश संरक्षण एक्ट इत्यादि के अपराध।

एलाइजा रीडर उपकरण पर स्नेक वेनम का परीक्षण करते वैज्ञानिक

(2) भौतिक साक्ष्यः– विसरा, पेट की धोवन, उल्टी, रक्त, मूत्र में विष व विषजनित पदार्थ, जहरीली शराब, मादक व शामक औषधि, कीटनाशक दवाएं।

(3) उपकरणः– यू.वी. विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, एफ.टी.आई.आर., डी.आई.पी. युक्त गैस क्रोमेटोग्राफ–मास स्पेक्ट्रोमीटर हेडस्पेस, एच.पी.एल. सी., एच.पी.टी.एल.सी., माईक्रोवेव सोलवेन्ट एक्सट्रेक्टर, एलाइजा रीडर फॉर स्नेक वेनम आदि।

पॉलीग्राफ (लाई - डिटेक्शन) खण्ड

(1) जाँच की प्रकृतिः– धोखाधड़ी, डकैती, चोरी, आगजनी, हत्या आदि प्रकरणों में संदिग्ध, गवाह अथवा शिकायतकर्ता द्वारा दिये गये बयान की सत्यता की पहचान ।

(2) भौतिक साक्ष्यः– संदिग्ध, गवाह अथवा शिकायतकर्ता के दिए गये बयान आदि।

(3) उपकरणः– कम्प्यूटराईज्ड पोलीग्राफ उपकरण (मॉडल एल.एक्स. 5000) आदि ।

फोटो खण्ड

(1) जाँच की प्रकृतिः– अपराध प्रदर्शन/घटनास्थल की फोटोग्राफी, विशेष फोटोग्राफी, ट्रिक फोटोग्राफी, फोटो–मिलान, अध्यारोपण आदि।

(2) भौतिक साक्ष्यः– धोखाधड़ी, जमीन–जायदाद/ स्टाम्प पेपर के फोटोग्राफ, पासपोर्ट व अन्य पहचान पत्रों पर फोटोग्राफ का परीक्षण।

(3) उपकरण एवं सॉफ्टवेयरः– एच.पी. डिजाइन जेट प्लॉटर एंव फेस फोरेंसिक सॉफ्टवेयर।

द्वितीय चरणः-

विधि विज्ञान प्रयोगशाला के उपयोग के क्षेत्र को बढ़ाने के क्रम में संभागीय मुख्यालयों पर परीक्षण सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर एवं अजमेर में नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित क्षेत्रीय प्रयोगशालांए आधुनिकतम भवनों में कार्य कर रही हैं। क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला भरतपुर में जैविक, सीरम, विष एवं भौतिक खण्ड द्वारा परीक्षण कार्य किया जा रहा है, एवं भवन के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है।

तृतीय चरणः-

साक्ष्य सामग्री के वैज्ञानिक विधियों से शीघ्र से शीघ्र चिन्हीकरण एवं एकत्रीकरण करने हेतु राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर फोरेंसिक मोबाईल यूनिट्स कार्यरत है, जो घटनास्थल पर शीघ्र पहुंचकर जांच अधिकारी को वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित करने में सहायता देती है। इस कार्य हेतु प्रत्येक यूनिट में फोरेंसिक वैज्ञानिक, वाहन, उपकरण एवं रसायनों की सुविधा का प्रावधान किया गया है।

न्यायालयिक विज्ञान के सिद्धान्त

1. **वैयक्तिता का नियम** : प्रत्येक वस्तु प्राकृतिक अथवा कृत्रिम अपने आप में विशिष्ट होती है। वह किसी भी अन्य वस्तु के शतप्रतिशत समान नहीं हो सकती।
2. **लोकार्ड का विनिमय सिद्धान्त** : सम्पर्क में आने पर वस्तुओं एवं चिन्हों का सदैव आदान प्रदान होता है।
3. **प्रगतिशील परिवर्तन का नियम** : समय व्यतीत होने के साथ हर वस्तु में परिवर्तन होता है।
4. **तुलना का सिद्धांत** : केवल एक प्रकार की वस्तुओं की ही तुलना की जा सकती है।
5. **विश्लेषण का सिद्धांत** : परीक्षण हेतु भेजा गया नमूना जितना अच्छा होता है परिणाम उतने ही अच्छे होते है।
6. **संभावना का सिद्धांत** : निश्चित या अनिश्चित प्रत्येक प्रकार की पहचान सदैव संभावना के आधार पर ही की जाती है।
7. **परिस्थितिजन्य तथ्यों का नियमः** व्यक्ति झूठ बोल सकता है किन्तु भौतिक साक्ष्य कदाचित नहीं।

सामान्य प्रकार के अपराधों के अतिरिक्त निम्न अग्रणी, हाई–टेक एवं अत्याधुनिक क्षेत्रों में नवीनतम तकनीक के साथ परीक्षण कार्य किया जाता है :–

1	**साईबर फोरेंसिक्स (कम्प्यूटर फोरेंसिक, मोबाईल फोरेंसिक व नेटवर्क फोरेंसिक)**	इंटरनेट जनित ई–कॉमर्स सम्बन्धित आर्थिक अपराध, ई–बैंकिंग धोखाधड़ी, सोशल मीडिया पर होने वाले अपराध, तस्करों/जासूसों/ घुसपैठियों/ आतंकियों से सम्बंधित संवेदनशील तथा राष्ट्रीय सुरक्षा से सम्बंधित अपराधों/साईबर अपराधों, महिला अशिष्ट निरुपेण, ब्लैकमैलिंग, मानहानी, डाटा हाईडिंग/ टेंपरिंग / डिलीशन, फेक डॉक्यूमेंट, धोखाधड़ी, जुआ–सट्टेबाजी, हैकिंग, पोर्नोग्राफी, मनी लॉण्डरिंग, स्नीफिंग, स्टेग्नोग्राफी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट, जैसे साईबर अपराधों के अतिरिक्त स्टिंग ऑपरेशन, विडियो ऑथेंटिकेशन, सीसीटीवी फूटेज तथा अन्य सामान्य अपराधों जिसमें प्रयुक्त कम्प्यूटर, मोबाईल तथा मेमोरी स्टोरेज मय इलेक्ट्रोनिक उपकरण/प्रोग्रामयुक्त इलेक्ट्रोनिक उपकरण का परीक्षण कार्य जयपुर स्थित प्रयोगशाला में किया जा रहा है।
2	**वाणी (ऑडियो) परीक्षण**	अपहरण, रिश्वत खोरी, होक्स (टेलीफोन) कॉल अथवा धमकी देने के मामलों में आवाज से व्यक्ति विशेष की पहचान के सबूत जुटाने के लिए कम्प्यूटराइज्ड डिजिटल वॉयस एनालाईजर प्रयोग में लिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त गुप्त डिजिटल रिकॉर्डर से स्टिंग आपरेशन से कूटरचित ऑडियो रिकार्डिंग की सत्यता परखने के लिए उन्नत उपकरण प्रयोग में लिये जा रहे है।
3	**वाइल्ड–लाइफ फोरेंसिक**	वन्य जीव अपराधों से निपटने के लिए जयपुर एफ.एस.एल. में वन्य जीवों के अंगो व अवशेषों का परीक्षण किया जा रहा है।
4	**फोरेंसिक डी.एन.ए. फिंगरप्रिंटिंग**	बलात्कार, हत्या जैसी हिंसक वारदातों में अपराधी की पहचान, संदिग्ध पैतृकता में पिता की पहचान, कंकाल से मृतक की पहचान, दहेज हत्या, गैंग रेप, विकृत शवों से गुमशुदा व्यक्ति की पहचान के लिए एवं भ्रूण हत्या के मामलों के परीक्षण के लिए जयपुर में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की जांच की जाती है।
5	**पॉलिग्राफ परीक्षण**	धोखाधड़ी, डकैती, चोरी, आगजनी, हत्या आदि प्रकरणों में संदिग्ध, गवाह अथवा शिकायतकर्ता द्वारा दिये गये बयान की सत्यता की पहचान की जाती है।

प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास

प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों द्वारा भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा, राजस्थान पुलिस सेवा, राजस्थान न्यायिक सेवा, राजस्थान वन सेवा, लोक अभियोजक, चिकित्सा अधिकारियों, विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्रों एवं विभिन्न राज्यों से आगंतुक अधीनस्थ पुलिस कार्मिकों को न्यायालयिक विज्ञान सम्बंधी व्याख्यान एवं प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं। राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर के परिसर में फोरेंसिक ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च इन्स्टीट्यूट (एफ.टी.आर.आई.) में वर्ष 2019 में 807 फोरेंसिक वैज्ञानिकों, पुलिस अधिकारियों एवं अन्य प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

प्रयोगशाला के वैज्ञानिक द्वारा देश के विभिन्न संस्थानों व विश्वविद्यालयों में व्याख्यान दिये गये। प्रयोगशाला के अनेक वैज्ञानिकों के शोध पत्र राष्ट्रीय स्तर के जर्नल में प्रकाशित हुए। प्रयोगशाला के विभिन्न स्तर के वैज्ञानिकों को देश के उच्च वैज्ञानिक संस्थानों में प्रशिक्षण दिलवा कर आधुनिक विधियों से अद्यतन करवाया जाता है।

राज्य विधि विज्ञान निदेशालय : अपराध अनुसंधान में महत्त्वपूर्ण भूमिका

आपराधिक न्याय प्रणाली के तीन प्रमुख स्तम्भों के रूप में पुलिस एवं न्यायालय के मध्य राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं एक अभिन्न एवं संयोजी कड़ी के रूप में कार्यरत है। बहुवैज्ञानिक संस्थान के रूप में स्थापित इन प्रयोगशालाओं में प्रामाणिक वैज्ञानिक विधियों एवं अत्याधुनिक उपकरणों की सहायता से अपराध सम्बंधी भौतिक सामग्री (आपराधिक प्रादर्शों) का विश्लेषणात्मक परीक्षण किया जाता है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 293 के तहत विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की परीक्षण रिपोर्ट अपराध में संदिग्ध व्यक्ति की लिप्तता स्थापित करने हेतु साक्ष्य के रूप में मान्य है। 'एक्सपर्ट ओपिनियन' के रूप में प्रस्तुत की जाने वाली ये रिपोर्ट निदेशक, उप निदेशक एवं सहायक निदेशक स्तरीय अधिकारियों के द्वारा जारी की जाती है।

प्रयोगशाला में प्राप्त होने वाले प्रकरण आईपीसी, सीआरपीसी, पोक्सो एक्ट, आर्म्स एक्ट, आई.टी. एक्ट, महिला अशिष्ट निरूपण एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेटस एक्ट, कॉपीराईट एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आबकारी एक्ट, भ्रष्टाचार निवारण एक्ट, एक्सप्लोसि़व एक्ट, आरपीजीओ एक्ट, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, फॉरेस्ट एक्ट, गौवंश संरक्षण एक्ट से सम्बन्धित होते है। फोरेंसिक रिपोर्ट मुख्यतः राज्य की पुलिस एवं न्यायालयों को उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अतिरिक्त सी.बी.आई., राज्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नारकोटिक्स, रसद, आबकारी, रेल्वेज, कस्टम, आयकर, वन, सैन्य विभाग, स्वास्थ्य एवं अन्य विभागों को भी रिपोर्ट दी जा रही है।

प्रयोगशाला में जाँच हेतु विभिन्न प्राधिकृत सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं एवं व्यक्तियों से प्राप्त होने वाले अपराध प्रादर्शों के परीक्षण के अतिरिक्त अन्वेषक संस्थाओं को अन्वेषण की दिशा तय करने के लिए घटना स्थल पर उपलब्ध भौतिक साक्ष्य सामग्री के चिन्हीकरण एवं एकत्रीकरण में वैज्ञानिक सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। जिससे अपराध के घटित होने, घटना का समय काल, तरीका एवं अपराधी तक पहुचने में मदद मिलती है।

जटिल अपराधों की गुत्थी सुलझाने के लिए प्रकरण विशेष की आवश्यकतानुसार शोध एवं विकास कार्य भी किये जाते है। ये शोध एवं विकास कार्य विभिन्न वैज्ञानिक संस्थानों में जारी शोध कार्यों की अपेक्षा विशिष्ट एवं भिन्न होते हैं।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि : चरणबद्ध विकास

1. वर्ष 1959 में राज्य में विधि विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना गृह विभाग के आदेशों से पुलिस मुख्यालय में प्रलेख एवं फोटो खण्ड से आरम्भ हुई। 1967 में रसायन, 1970 में जैविक एवं 1973 में भौतिक खण्ड प्रारम्भ हुआ।
2. वर्ष 1970 में प्रयोगशाला में प्रथम तकनीकी निदेशक की नियुक्ति की गई।
3. वर्ष 1974 में प्रयोगशाला भवन का राजस्थान पुलिस अकादमी के समीप नेहरू नगर में पृथक प्रांगण में निर्माण करा प्रयोगशाला उसमें स्थानांतरित की गई।
4. वर्ष 1974 में अस्त्रक्षेप, 1983 में विष एवं 1984 में सीरम खण्डों में परीक्षण आरंभ किया गया।
5. वर्ष 1992 में नारकोटिक्स, आर्सन एण्ड एक्सप्लोसिव तथा लाई–डीटेक्शन खण्डों के स्वीकृति आदेश जारी।
6. वर्ष 1995 में जोधपुर एवं उदयपुर की क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं स्वीकृत एवं 1997 से इनमें परीक्षण कार्य आरंभ।
7. वर्ष 1998 में जोधपुर क्षेत्रीय प्रयोगशाला भवन का शिलान्यास एवं निर्माण आरंभ।
8. वर्ष 2004 में डी.एन.ए. फिंगरप्रिंटिंग भवन का निर्माण प्रारंभ, कम्प्यूटर लैब एवं वन्यजीव फोरेंसिक के लिए भवन निर्माण, उदयपुर क्षेत्रीय प्रयोगशाला भवन का निर्माण एवं शासन द्वारा 30 जिला चल इकाइयों की स्वीकृति।
9. वर्ष 2005 में कोटा क्षेत्रीय प्रयोगशाला के भवन का निर्माण मुख्य प्रयोगशाला, जयपुर में कम्प्यूटर फोरेंसिक, ऑडियो वीडियो ऑथेंटिकेशन एवं साईबर फोरेंसिक तकनीक का कार्य प्रारंभ।
10. वर्ष 2006 में उदयपुर प्रयोगशाला भवन का लोकार्पण, 16 जिला चल इकाइयों की स्थापना, डी.एन.ए. एवं साईबर लैब के लिए पृथक स्टाफ स्वीकृत।
11. वर्ष 2007 में कोटा क्षेत्रीय प्रयोगशाला में आंशिक स्टाफ स्वीकृति पश्चात कार्य आरंभ, 14 जिला मोबाईल यूनिट्स की स्थापना, 7 चल इकाईयों के भवन का निर्माण प्रारंभ।
12. वर्ष 2008 में डी.एन.ए. पृथक्करण का कार्य आरंभ हुआ। बीकानेर क्षेत्रीय प्रयोगशाला के लिए आंशिक स्टाफ स्वीकृत। 4 जिला मोबाईल यूनिट का स्टाफ स्वीकृत एवं वर्ष 2009 से कार्य आरंभ।
13. वर्ष 2010 में जयपुर में डी.एन.ए. परीक्षण हेतु अन्य आवश्यक उपकरण स्थापित।
14. वर्ष 2011 में अजमेर क्षेत्रीय प्रयोगशाला प्रथम चरण के स्वीकृति आदेश जारी।
15. वर्ष 2013 में साईबर फोरेन्सिक खण्ड, जयपुर के सहायक निदेशक का पद स्वीकृत हुआ।
16. वर्ष 2013 में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, अजमेर में रसायन खण्ड ने कार्य प्रारंभ किया।
17. वर्ष 2014 में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, बीकानेर में विष, जैविक एवं सीरम खण्ड तथा क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, अजमेर में विष खण्ड ने कार्य करना प्रारंभ किया।
18. वर्ष 2015 में राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर के परिसर में फोरेंसिक ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट के भवन के भूतल का निर्माण किया गया।
19. वर्ष 2015 में भरतपुर के क्षेत्रीय प्रयोगशाला में भौतिक, जैविक, सीरम तथा विष खण्ड प्रारम्भ एवं क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला उदयपुर में जैविक खण्ड आरम्भ हुआ।
20. वर्ष 2017 में राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर मे स्थापित पॉलिग्राफ सेंटर में कार्य प्रारम्भ किया गया।
21. वर्ष 2017 में फोरेंसिक ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में सुविधाओं का विस्तार कर अपराधों के वैज्ञानिक अनुसंधान में कौशल विकास का कार्य प्रारम्भ किया गया ।
22. वर्ष 2019 में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, अजमेर तथा बीकानेर के नवनिर्मित भवन में कार्य प्रारंभ किया गया।
23. वर्ष 2019 में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जोधपुर में जैविक खण्ड ने कार्य प्रारंभ किया।

संगठनात्मक ढांचा (तकनीकी)

राजस्थान विधि विज्ञान निदेशालय का संगठनात्मक स्वरूप

स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण (31–12–2019 की स्थिति में)

राजस्थान विधि विज्ञान निदेशालय की मुख्य प्रयोगशाला, क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं एवम् जिला मोबाईल फोरेंसिक यूनिट्स के लिए स्वीकृत, वर्तमान नफरी और रिक्त पदों की स्थिति निम्न प्रकार हैः–

कैडरवाईज स्थिति

क्रम सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	वर्तमान नफरी	रिक्त पद
1.	तकनीकी अधिकारी	126	60	66
2.	तकनीकी कर्मचारी	296	148	148
	कुल योग	**422**	**208**	**214**

वैज्ञानिक एवं तकनीकी संवर्ग

क्रम सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	वर्तमान नफरी	रिक्त पद
1.	निदेशक	01	–	01
2.	अतिरिक्त निदेशक	04	02	02
3.	उप निदेशक	05	03	02
4.	सहायक निदेशक	39	30	09
5.	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी	77	25	52
6.	वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	43	08	35
7.	कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	96	51	45
8.	मैकेनिक	01	–	01
9.	तकनीकी सहायक	01	–	01
10.	प्रयोगशाला सहायक	78	65	13
11.	कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक	77	24	53
	कुल योग	**422**	**208**	**214**

मंत्रालयिक एवं लेखा संवर्ग

क्रम सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	वर्तमान नफरी	रिक्त पद
1.	लेखाधिकारी	01	01	–
2.	सहायक लेखाधिकारी	01	01	–
3.	कनिष्ठ लेखाकार	06	03	03
4.	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	01	01	–
5.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	05	05	–
6.	निजी सहायक	01	01	–
7.	शीघ्रलिपिक	02	–	02
8.	वरिष्ठ सहायक	08	09	01 अतिरिक्त
9.	कनिष्ठ सहायक	16	14	02
10.	दफ्तरी	01	01	–
11.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	27	19	08
12.	प्रयोगशाला कर्मचारी	09	09	–
13.	कानि0ड्राईवर	14	13	01
14.	चालक	03	–	03
	कुल योग	**95**	**77**	**19**

नियमित बजट एवं आधुनिकीकरण योजना अन्तर्गत राशि

(31–12–2019 की स्थिति में)

(अ) वर्ष 2019–20 बजट आवंटन एवं व्यय (आयोजना भिन्न राशि रूपये लाखों में)

क्र.सं.	शीर्षक	आवंटन	व्यय राशि	शेष
1.	संवेतन (01)	2000.00	1540.44	459.56
2.	यात्रा व्यय (03)	20.00	16.60	3.40
3.	चिकित्सा व्यय (04)	05.00	2.91	2.09
4.	कार्यालय व्यय (05)	75.00	58.01	16.99
5.	कार्यालय वाहनों का संचालन एवं संधारण (07)	20.00	8.67	11.33
6.	वृत्तिक और विशिष्ट सेवाएं (08)	03.00	0.06	2.94
7.	किराया, रेट और कर/रॉयल्टी (09)	10.00	7.40	2.60
8.	मशीनरी, और साज सामान/औजार एवं संयंत्र नवीन उपकरण (18)	240.00	184.36	55.64
9.	अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेन्स) (21)	60.00	37.17	22.83
10.	वर्दियां तथा अन्य सुविधाएं (37)	0.50	0.24	0.26
11.	संविदा तथा अन्य सुविधाएं (41)	45.00	29.37	15.63
12.	कम्प्यूटराइजेशन एवं तत्सम्बन्धी संचार व्यय (62)	21.00	16.73	4.27
	कुल योग (आयोजना भिन्न)	**2499.5**	**1901.96**	**597.54**

(ब) वर्ष 2019–20 आयोजना बजट मद (राशि रूपये लाखों में)

क्र. सं.	मद का नाम	आवंटित राशि	व्यय राशि	शेष
1.	बृहद निर्माण–अजमेर, बीकानेर तथा भरतपुर क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगाशाला भवन निर्माण, मरम्मत कार्य मुख्य प्रयोगशाला, जयपुर एवं क्षेत्रीय प्रयोगशाला जोधपुर (17)	725.00	351.79	373.21
2.	मशीनीकरण, उपकरण, औजार इत्यादि (पुलिस आधुनिकीकरण) (18)	569.45	5.99	563.46
3.	निर्भया फंड	628.00	-	628.00
	योग (आयोजना)	**1922.45**	**357.78**	**1564.67**

प्रकरण सांख्यिकी (Case Statistics)

Directorate of Forensic Science Laboratory Rajasthan

Case Statistics from 01-01-2019 to 31-12-2019

(i) Statement showing Year–wise position of Received, Disposal and Pending Cases

S. NO.	YEAR	PENDENCY AS ON 1ST JANUARY	RECEIVED CASES DURING THE YEAR	TOTALN0. OF CASES	EXAMINED CASES DURING THE YEAR	PENDENCY AS ON 31ST December
1.	2013	13772	25991	39763	26856	12907
2.	2014	12907	27615	40522	27776	12746
3.	2015	12746	31346	44092	33252	10840
4.	2016	10840	34340	45180	38578	6602
5.	2017	6455	37154	43609	37197	6412
6.	2018	6412	38442	44854	34907	9947
7.	**2019**	**9947**	**43434**	**53381**	**39240**	**14141**

(ii) Statement showing position of Received, Disposal and Pending Cases for SFSL and RFSLs.

S. NO.	FORENSIC SCIENCE LABORATORIES	PENDING CASES ON 01-01-2019	RECEIVED CASES IN 2019	TOTAL CASES	EXAMINED CASES		PENDING CASES ON 31-12-2019
					CASES	EXHIBITS	
1.	State FSL Jaipur	4582	19232	23814	17183	85771	6631
2.	Regional FSL Jodhpur	948	7085	8033	6537	33222	1496
3.	Regional FSL Udaipur	1438	7663	9101	6947	22081	2154
4.	Regional FSL Kota	481	2295	2776	1745	9484	1031
5.	Regional FSL Bikaner	1297	2577	3874	2351	10672	1523
6.	Regional FSL Ajmer	852	3495	4347	3336	10288	1011
7.	Regional FSL Bharatpur	349	1087	1436	1141	7806	295
	Grand Total :	**9947**	**43434**	**53381**	**39240**	**179324**	**14141**

(iii) Total number of Crime Scenes visited in the Rajasthan:- 1593

(iv) Statement showing Received, Disposal and position of Pending cases of State Forensic Science Laboratory, Jaipur:-

S. NO.	NAME OF DIVISION	PENDING CASES ON 01-01-2019	RECEIVED CASES IN 2019	TOTAL CASES	EXAMINED CASES		PENDING CASES ON 31-12-2019
					CASES	EXHIBITS	
1.	Document Division	179	492	671	610	33396	61
2.	Chemistry Division	1840	8461	10301	8916	12263	1385
3.	Arson & Explosive	17	145	162	124	341	38
4.	Narcotics Division	780	1197	1977	1386	3538	591
5.	Biology Division	27	1614	1641	1486	9392	155
6.	Physics Division	63	388	451	376	1666	75
7.	Polygraph Division	0	12	12	12	19	0
8.	Cyber Forensic Division	334	482	816	224	1412	592
9.	Ballistics Division	55	286	341	251	2545	90
10.	Toxicology Division	150	2290	2440	2031	12017	409
11.	Serology Division	135	954	1089	990	5056	99
12.	DNA Division	1002	2911	3913	777	4126	3136
	Total	**4582**	**19232**	**23814**	**17183**	**85771**	**6631**
	Photo Section :	98	1375	1473	1443	Neg.22690 Print.12095	30

(v) Statement showing Received, Disposal and position of Pending cases of Regional Forensic Science Laboratory Jodhpur, Udaipur, Kota, Bikaner, Ajmer & Bharatpur:-

S. NO.	NAME OF DIVISION	PENDING CASES ON 01-01-2019	CASES RECEIVED in 2019	TOTAL CASES	EXAMINED CASES		PENDING CASES ON 31-12-2019
					CASES	EXHIBITS	
REGIONAL FSL, JODHPUR							
1.	Documents Division	23	272	295	244	16236	51
2.	Chemistry Division	638	5386	6024	5167	9342	857
3.	Toxicology Division	193	945	1138	805	5654	333
4.	Serology Division	94	260	354	209	1180	145
5.	Biology Division	0	222	222	112	810	110
	Total	**948**	**7085**	**8033**	**6537**	**33222**	**1496**
REGIONAL FSL, UDAIPUR							
1.	Documents Division	1	145	146	139	7067	7
2.	Chemistry Division	307	5063	5370	4864	3537	506
3.	Toxicology Division	347	892	1239	911	5263	328
4.	Serology Division	134	664	798	461	2677	337
5.	Biology Division	649	899	1548	572	3537	976
	Total	**1438**	**7663**	**9101**	**6947**	**22081**	**2154**
REGIONAL FSL, KOTA							
1.	Biology Division	56	492	548	326	2326	222
2.	Physics Division	19	129	148	98	294	50
3.	Toxicology Division	254	980	1234	672	3632	562
4.	Serology Division	152	694	846	649	3232	197
	Total	**481**	**2295**	**2776**	**1745**	**9484**	**1031**
REGIONAL FSL, BIKANER							
1.	Biology Division	725	965	1690	738	2326	952
2.	Physics Division	0	105	105	100	289	5
3.	Ballistic Division	19	61	80	60	648	20
4.	Toxicology Division	184	878	1062	785	5393	277
5.	Serology Division	369	568	937	668	2016	269
	Total	**1297**	**2577**	**3874**	**2351**	**10672**	**1523**
REGIONAL FSL, AJMER							
1.	Chemistry Division (Liquor cases)	88	2390	2478	2149	3409	329
2.	Toxicology Division	741	939	1680	1001	5871	679
3.	Serology Division	23	166	189	186	1008	3
	Total	**852**	**3495**	**4347**	**3336**	**10288**	**1011**
REGIONAL FSL, BHARATPUR							
1.	Biology Division	110	272	382	308	1941	74
2.	Serology Division	66	304	370	270	2212	100
3.	Physics Division	3	78	81	70	460	11
4.	Toxicology Division	170	433	603	493	3193	110
	Total	**349**	**1087**	**1436**	**1141**	**7806**	**295**

एफ.एस.एल. में परीक्षण किये गये कुछ महत्त्वपूर्ण प्रकरण

साईबर फॉरेन्सिक प्रकरण :-

1. बहुचर्चित गैंगरेप प्रकरण में घटना से सम्बंधित विडियो की रिकवरी :– थाना– थानागाजी, जिला–अलवर मुकदमा नं0–92/19 धारा 147, 149, 323, 341, 354 ख, 376डी, 506, 384, 386, 342, 395, 365, 327 आई.पी.सी. व 3(2)(v)(1)(w) एससी/ एसटी एक्ट प्रकरण के अन्तर्गत बहुचर्चित गैंगरेप प्रकरण में आरोपियों से जब्त मोबाईल फोनों से घटना से सम्बंधित विडियों रिकवर कर आरोपियों के चेहरों की पहचान एवं घटना के विडियों को वॉट्सऐप ग्रुप पर वायरल करने सम्बंधित साक्ष्य रिकवर प्रकरण में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की गई।

2. दुष्कर्म पोक्सो प्रकरण में डि.वी.आर. से विडियो की रिकवरी :– थाना– महिला थाना, जिला–अलवर के मुकदमा नं0–400/19 धारा 376 ए, बी व 5/6 पोक्सो एक्ट प्रकरण के अन्तर्गत डी.वी.आर. की हार्ड डिस्क से दुष्कर्म की घटना का सी.सी.टी.वी. विडियो रिकवर कर विडियो ऑथेंटीकेशन परीक्षण कर प्रकरण में महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रदान किये।

3. प्रधानमंत्री ऑफिस से सम्बंधित फर्जी पत्रों की रिकवरी :– थाना–कोतवाली जिला–अलवर मुकदमा नं0–399/18 धारा 420, 467, 468, 471 सी.आर.पी.सी. प्रकरण के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ऑफिस से जारी फर्जी पत्र सम्बन्धित प्रकरण में जप्त मोबाईल फोन से वाट्सऐप मैसेज तथा सम्बन्धित दस्तावेज रिकवर कर अनुसंधान में सहायता प्रदान की गई ।

4. भ्रष्टाचार प्रकरण में मोबाईल से महत्वपूर्ण साक्ष्य की रिकवरी :– थाना–सी.पी.एस. ए.सी.बी. जयपुर चतुर्थ मुकदमा नं0–268/19 धारा 7, 7ए, 8, भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 एवं 120 बी भा.द.स. प्रकरण के अन्तर्गत सचिवालय में खान विभाग में कार्यरत अधिकारी से रिश्वत/ भ्रष्टाचार सम्बन्धित प्रकरण में जब्त मोबाईल फोन के वाट्सऐप मैसेज तथा सम्बन्धित डाटा रिकवर करवा कर प्रकरण में महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रदान किये गये ।

5. माननीय उच्च न्यायालय के कथित फेक बेल ऑर्डर जारी होने प्रकरण में सम्बंधित फाईल की रिकवरी :– थाना– केकडी जिला–अजमेर मुकदमा नं0– 95/19 धारा 420, 465, 468, 384 आईपीसी प्रकरण के अन्तर्गत माननीय उच्च न्यायालय के कथित फेक बेल ऑर्डर जारी होने सम्बंधित प्रकरण में आरोपी के जप्त मोबाईल फोन से माननीय उच्च न्यायालय के जारी कथित फेक ऑर्डर की ईमेज रिकवर करवा कर प्रकरण में महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रदान किये।

6. केन्द्रीय कारागृह अजमेर में भ्रष्टाचार प्रकरण में महत्वपूर्ण साक्ष्य की रिकवरी :– ए.सी.बी. अजमेर द्वारा दर्ज मुकदमा नं0–201/19 में केन्द्रीय कारागृह में कैदियों एवं जेल कर्मियों द्वारा भ्रष्टाचार, शारीरिक/ मानसिक प्रताड़ना से सम्बंधित प्रकरण में आरोपियों से जब्त मोबाईल फोनों से कॉलिंग, मैसेज आदि रिकवर कर प्रकरण में महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रदान किये।

7. हैकिंग से सम्बंधित प्रकरण में मोबाईल फोन से संदिग्ध एप्लीकेशन की रिकवरी :– थाना– राजनगर जिला–राजसमन्द मुकदमा नं0–21/18 धारा 65, 66 ई आईटी एक्ट प्रकरण के अन्तर्गत संदिग्ध एप्लीकेशन से मोबाईल फोन की सूचनाओं (mail, messages, files, calling, google drive etc.) को हैक कर चुराने/जासूसी करने सम्बंधित प्रकरण में जब्त मोबाईल फोन से संदिग्ध एप्लीकेशन की पहचान कर प्रकरण में महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रदान किये।

8. क्रिप्टोकरेंसी (बिटकॉईन) में अधिक रिटर्न का प्रलोभन देकर निवेश कराने सम्बन्धित प्रकरण में महत्वपूर्ण साक्ष्य की रिकवरी :– एस.ओ.जी., जयपुर के मुकदमा नं0–16/19 धारा 420, 406, 409, 120बी आई.पी.सी. प्रकरण के अन्तर्गत क्रिप्टोकरेंसी (बिटकॉईन) में अधिक रिटर्न का प्रलोभन देकर पूंजी निवेश कराने सम्बंधित प्रकरण में जब्त मोबाईल फोनों से प्रकरण से सम्बंधित बैंक खातों की जानकारी सम्बंधित सूचनाऐं, सम्बंधित प्रकरण से लिंक आरोपीगणों का डाटा वॉट्सऐप एप्लीकेशन से रिकवर कर अनुसंधान में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की गई ।

9. बहुचर्चित क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटी प्रकरण में सर्वर पर स्थित डाटा की जब्ती :– एस.ओ.जी. के मुकदमा नं0–24/18 प्रकरण में नोटबंदी के दौरान आदर्श क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाईटी के माध्यम से इनकी मेंबर कम्पनीयों/फर्म के नाम से इनडेण्ड बेक डेट में एन्ट्री कर ऑफलाईन शाखा खोलने के प्रकरण में अहमदाबाद, गुजरात स्थित ईलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस के सर्वर से सोसाइटी के रिकोर्ड संम्बधित डाटा को जब्त करने में सहायता प्रदान की गई।

10. केन्द्रीय कारागृह में मृतक सजायाफता पाकिस्तानी बंदी के मोबाईल से महत्वपूर्ण साक्ष्य की रिकवरी :– थाना– लालकोठी, जिला–जयपुर शहर (पूर्व) मुकदमा नं0–38/19 धारा 302, 34 आई.पी.सी. के अन्तर्गत केन्द्रीय कारागृह जयपुर में मृतक सजायाफता पाकिस्तानी बंदी, जोकि अंतराष्ट्रीय सीमा को क्रॉस करने के आरोप में सजायाफता बंदी था, से जब्त मोबाईल फोन से डाटा रिकवर कर अनुसंधान में सहायता प्रदान की गई।

डीएनए प्रकरणः

1. डीएनए परीक्षण से दुष्कर्म की पुष्टिः– थाना–हिरनमगरी जिला–उदयपुर मुकदमा नं–523/18 प्रकरण में एक चार वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना घटित हुई। प्रकरण मे पिड़िता, मुल्जिम एवं घटनास्थल से लिये गये साक्ष्यों के डीएनए परीक्षण से आरोपी का अपराध साबित हुआ तथा माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को आजीवन कारावास की सजा हुई।

2. दुष्कर्म प्रकरणों में डीएनए परीक्षण से अपराधी की पहचानः– थाना–शास्त्री नगर जिला–जयपुर शहर (उत्तर) मुकदमा नं–205/19 एवं 214/19 प्रकरण में दो छोटी बालिकाओं के साथ अलग–अलग समय के अन्तराल में दुष्कर्म की घटनाएं हुयी। दोनों घटनाओं में बालिकाओं का आरोपी द्वारा एक सुन–सान जगह ले जाकर दुष्कर्म किया गया। डीएनए परीक्षण में दोनो घटनाओं में एक ही व्यक्ति की डीएनए प्रोफोईल पायी गयी जिससे दोनो घटनाओं मे अलग–अलग आरोपी होने की संभावना को नकारा गया। घटना के कुछ दिन बाद पकड़े गये आरोपी के डीएनए का मिलान उक्त दोनो प्रकरणों मे पिड़ित बालिकाओं के कपड़ो पर पाये गये वीर्य के डीएनए से बताकर आरोपी की पूर्ण पहचान करने में पुलिस अनुसंधान में मदद प्रदान की।

3. नृशंस हत्या प्रकरण में योगदानः– थाना–शिवाजी पार्क जिला–अलवर मुकदमा नं0–244/17 प्रकरण में एक महिला एवं उसके प्रेमी द्वारा अपने पति एवं बच्चों की नृशंस हत्या का प्रकरण दर्ज हुआ। प्रकरण में प्रयुक्त चाकू, घटनास्थल से संबधित साक्ष्यों व आरोपी के कपडों पर उपस्थित रक्त के डीएनए रिपोर्ट से पुलिस अनुसंधान में मदद प्रदान की गयी।

4. कंकाल के डीएनए परीक्षण से महिला की पहचानः थाना–सूरसागर, जिला–जोधपुर (पश्चिम) मुकदमा नं0– 7/18 प्रकरण में एक महिला के उसके चचेरे भाई से अनैतिक संबंध होने से महिला को मारकर एक खेत में दफनाने का प्रकरण दर्ज हुआ। लगभग एक वर्ष बाद जब महिला दिखाई नहीं दी तो उसके परिजनों ने महिला की मृत्यु का प्रकरण दर्ज कराया गया। अनुसंधान के दौरान खेत से श्वोत्खनन किये गये कंकाल के डीएनए से महिला की पूर्ण पहचान हुई।

5. तेइस संभावितों मे से एक वास्तविक दुष्कर्मी की पहचानः– थाना–कोतवाली जिला– बांसवाड़ा मुकदमा नं0– 275/19 धारा 376(3)ए 376(2)B IPC व 3/4 पोक्सो एक्ट प्रकरण में एक 14 वर्षीय मूकबधीर बालिका से दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज हुआ। प्रकरण में डीएनए परीक्षण के आधार पर 23 संभावित दुष्कर्मियों मे से एक वास्तविक दुष्कर्मी की पहचान हुई।

6. डीएनए परीक्षण से जैविक संतान की पुष्टिः– थाना–चौपासनी हाउसिंग बोर्ड जिला–जोधपुर पश्चिम मुकदमा नं0– 43/19 धारा 376(2)ए 328 IPC प्रकरण में एक दुष्कर्म के प्रकरण में नवजात शिशु के दुष्कर्मी जैविक पिता की पहचान हेतु तीन सैम्पल डीएनए परीक्षण हेतु भेजे गये जिसमे नवजात शिशु के डीएनए का पिडिता एवं आरोपी के डीएनए से मिलान नहीं हुआ। इसके पश्चात् अनुसंधान के दौरान पुनः तीन सैम्पल डीएनए परीक्षण हेतु प्राप्त हुये। इस बार प्राप्त सैम्पल परीक्षण से नवजात शिशु पिड़िता एवं आरोपी की जैविक संतान साबित हुआ। इस तरह डीएनए परीक्षण से प्रथम बार भेजे गये सैम्पलों के संदेहास्पद होने की तरफ संभावना जताकर अनुसंधान को सहायता पहुचाई।

7. भ्रूण के डीएनए परीक्षण से दुष्कर्मी की पहचानः—थाना—देवली जिला—टोंक मुकदमा नं0—305/19 धारा 376(3) IPC व 3/4 पोक्सो एक्ट प्रकरण में एक 13 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म हुआ जिसके परिणामतः वह गर्भवती हो गयी तथा गर्भपात पश्चात भ्रूण के प्रादर्शों का मिलान दो संभावित आरोपियो के कन्ट्रोल रक्त सैम्पल से करवाया गया जिस में डीएनए परीक्षण से पिड़िता का रिश्तेदार ही दुष्कर्मी साबित हुआ।

8. नवजात शिशु के डीएनए परीक्षण से अपराधी की पुष्टिः— थाना— नाहरगढ़ जिला—बांरा मुकदमा नं0— 106/18 धारा 376(ढ) IPC व 5(अ)(II)(ठ)/6 पोक्सो एक्ट प्रकरण में एक महिला के साथ दुष्कर्म की घटना हुई जिसके फलस्वरूप वह गर्भवती हो गयी तथा उसने एक नवजात शिशु को जन्म दिया। प्रकरण मे आरोपी पक्ष द्वारा सामाजिक दबाव बनाया गया जिससे वह माननीय न्यायालय मे पक्षद्रोही होने के बावजूद प्रकरण की संवेदनशीलता एवं गभीरता को देखते हुये माननीय न्यायालय ने डीएनए परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर दुस्कर्मी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

9. डीएनए परीक्षण रिपोर्ट से सामूहिक दुष्कर्म की पुष्टिः—थाना— थानागाजी, जिला— अलवर मुकदमा नं0— 92/19 धारा 376डी, 147, 149, 323, 341, 354ख, 506 IPC व 3(2)(5) SC/ST Act प्रकरण में एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज हुआ। प्रकरण मे डीएनए परीक्षण रिपोर्ट से सामूहिक दुष्कर्म की पुष्टि हुई।

विष-प्रकरणः

1. दूध में निद्राकारी औषधि की पुष्टिः— थाना शिवाजी पार्क जिला— अलवर मुकदमा नं0 71/19 धारा 328ए 376 IPC, व 3/4 Pocso Act प्रकरण में पीड़ितों को दूध में मिलाकर दवाई देने का संदिग्ध प्रयास बताया गया। अनुसंधान अधिकारी द्वारा भेजे गये प्रादर्शो, पीड़ितों का ब्लड, गैस्ट्रिक लैवेज एवं यूरिन सैम्पल प्रादर्शों में परीक्षणोपरान्त निद्राकारी औषधि की उपस्थिति बताकर अनुसंधान को नयी दिशा प्रदान की गई।

2. विसरा परीक्षण से मौत के कारणों की पुष्टिः—थाना शाहपुरा जिला— जयपुर (ग्रामीण) मुकदमा नं0 201/19 धारा 302ए 201 IPC प्रकरण में मृतका श्रीमती मक्खनी देवी की लाश जंगल में पेड़ से लटकी हुई मिली थी जिससे प्रथमदृष्टया प्रकरण फांसी से आत्महत्या का प्रतीत हुआ था परन्तु अनुभाग में जमा किए विसरा सैम्पल तथा अन्य प्रादर्शों के रसायनिक परीक्षणोपरान्त Pendimethalin Herbicide तथा Organophosphorous Insecticide की उपस्थिति बताई गई जिससे अनुसंधान को नयी दिशा मिली।

3. सड़क हादसा लग रहे प्रकरण में जहर की पुष्टि :— थाना फागी जिला—जयपुर (ग्रामीण) मुकदमा संख्या 413/19 धारा 279, 304 IPC प्रकरण में जयपुर—भीलवाड़ा मेगा हाइवे पर 23 जून 2019 को दुर्घटनाग्रस्त कार में महिला, उसके पुत्र व पुत्री के शव मिलने का मामला दर्ज किया गया। उक्त प्रकरण में मृतकों के विसरा एवं ब्लड सैम्पल, निवास स्थल से लिए गए प्रादर्श यथा खाद्य पदार्थ खिचड़ी, दूध व अन्य संदिग्ध पदार्थ तथा संदिग्ध से जब्त किए प्रादर्श यथा मिश्रित प्रसाद, पानी की बोतल आदि विष अनुभाग में परीक्षण हेतु जमा करवाए गए। जमा किए गए प्रादर्शों में Organophosphorous कीटनाशक की उपस्थिति बताकर सड़क हादसा लग रहे प्रकरण के अनुसंधान में नयी दिशा प्रदान की गई।

4. विसरा परीक्षण से मृत्यु के कारणों की पुष्टिः— थाना अशोक नगर जिला जयपुर (दक्षिण) मुकदमा नं. 259/19 धारा 306 IPC अन्तर्गत प्राप्त प्रकरण में मृतक की मृत्यु को पुलिस ने प्रथम दृष्टया आत्महत्या माना किन्तु परिवार जन द्वारा मृत्यु का कारण संदिग्ध बताया गया। विष अनुभाग में जमा करवाए गए प्रादर्शों में Aluminium Phosphide की उपस्थिति बताकर अनुसंधान को एक नई दिशा प्रदान की गयी ।

5. पशुओं की मौत के कारण की पुष्टि :— थाना—कालन्द्री जिला—सिरोही परिवाद संख्या 16/19 प्रकरण में तीन—चार पशुओं द्वारा खेत की सीमा (बाड) पर पडे आटे के लड्डू को खाकर मौत होना अंकित था। उक्त प्रकरण के विसरा प्रादर्शों एवं भेजे गये लड्डू तथा अन्य सेम्पलों के केमिकल एनालिसिस के द्वारा (फोरेट) ओरगेनोफोस्फोरस इन्सेक्टिसाइड की उपस्थिति रिपोर्ट की गयी। विसरा रिपोर्ट ने इस प्रकरण में एक मिसींग लाइन की तरह कार्य किया एवं अनुसंधान को एक नई दिशा प्रदान की गयी।

6. मृतक के मौत के सही कारणों की पुष्टिः— थाना—सायरा जिला—उदयपुर मर्ग न. 31/18 धारा 174 सी.आर.पी.सी. के अन्तर्गत प्राप्त प्रकरण

मे मृतक के विसरा प्रादर्श तथा काले रंग का संदिग्ध पदार्थ भेजा गया। फर्दपंचनामा तथा एफ. आई.आर के अनुसार मृतक की मृत्यु फांसी खाने से होना बताया गया। भेजे गये विसरा प्रादर्शों एवं काले संदिग्ध पदार्थ मे रासायनिक परीक्षण पश्चात् जिंक फास्फाईड (चूहे मारने की दवा) की उपस्थिति बताकर अनुसंधान मे नयी दिशा प्रदान की गयी ।

7. संदिग्ध दहेज हत्या प्रकरण में जहर की पुष्टिः–थाना–चन्देरिया जिला–चित्तौडगढ मुकदमा नं0–142/12 धारा 498ए, 304बी भा.द.स. से प्राप्त प्रकरण में परिजनों द्वारा मृतका की मृत्यु का कारण दहेज मांग, प्रताडना तथा ससुराल पक्ष द्वारा जहर देने से संदिग्ध मौत की आशंका संबंधित था। उक्त प्रकरण के विसरा प्रादर्शों, मृतका द्वारा की गयी वामिट, बेडशीट तथा छत पर बने बाथरूम के पास, उल्टी धुली हुयी जगह से जब्त प्रादर्शो मे जहर (एलुमिनियम फास्फाइड) की उपस्थिति बताई गयी जिससे अनुसंधान में उल्लेखनीय सहयोग प्रदान किया गया।

8. संदिग्ध मृत्यु प्रकरण में कारण की पुष्टिः–थाना–मथानिया, जिला–जोधपुर पूर्व मुकदमा संख्या 64 धारा 365, 304 भादस एवं 3 (1) (R) (S), 3 (2) (V) SC/ST Act प्रकरण में मृतक की नशा मुक्ति केन्द्र में हुई संदिग्ध मृत्यु के प्रकरण में अनुभाग द्वारा डाईसल्फीराम (Disulfiram) एवं बेन्जोडाईजीपीन (Benzodiazepine) दवाईयों की उपस्थिति दी जाकर अनुसंधान को नयी दिशा प्रदान की गई।

9. कापर सल्फेट की उपस्थिति की पुष्टिः–थाना–कुड़ी भगतासनी, जिला– जोधपुर पश्चिम मुकदमा नं0 189 धारा 328 भादस द्वारा प्राप्त प्रकरण में पीड़िता द्वारा मल्जिम पर दर्द निवारक लेप लगाएं जाने के दौरान बेहोश हो जाने एवं होश आने पर खून की उल्टी होने का मुकदमा दर्ज करवाया गया। प्राप्त प्रादर्शों में कापर सल्फेट (नीला थोथा) की उपस्थिति बता कर अनुसंधान को नई दिशा प्रदान की गई।

10. दर्द निवारक दवा की पुष्टिः–थाना–झंवर, जिला–जोधपुर पश्चिम मुकदमा नं0 141 धारा 304, 420 भादस व 15 (2) (3) IMC एक्ट द्वारा प्राप्त प्रकरण में झोला छाप डाक्टर के ईलाज द्वारा हुई मृत्यु के प्रकरण में प्राप्त प्रादर्शों पर परीक्षण करने पर डाइक्लोफिनेक (Diclofenac) दर्द निवारक दवा की उपस्थिति दी जाकर अनुसंधान में मदद की गई।

रसायन/आर्सन एवं एक्सप्लोसिव/नारकोटिक्स प्रकरणः-

1. पोक्सो प्रकरण में कपडों पर तैलीय पदार्थ की पुष्टि–थाना–मण्डोर जिला–जोधपुर पूर्व मुकदमा नम्बर–206/18 धारा 377 IPC, 3/4, 5(M)/6 पोक्सो एक्ट प्रकरण में सात वर्ष के एक लड़के के साथ किये गये अप्राकृतिक मैथुन प्रकरण में लड़के के कपड़े तथा उपयोग में लिये गये शांति बादाम आवंला केश तैल की शीशी प्राप्त हुई थी जिसका रसायानिक परीक्षण एवं गैस क्रोमेटोग्राफ उपकरण पर विश्लेषण द्वारा सिद्ध किया गया कि कपड़ो तथा शीशी में समान प्रकृति के तैलीय पदार्थ की उपस्थिति थी।

2. ज्वलनशील पदार्थ की उपस्थितिः–थाना–नीमराणा, जिला–अलवर मुकदमा नं0–180/19 प्रकरण के अन्तर्गत चोरी किये हुऐ रसायनों को ज्वलनशील पदार्थ की उपस्थिति जाँचने हेतु भेजा गया जिनका परीक्षण डिस्टिलेशन, कलर टेस्ट व गैस क्रोमेटोग्राफ की सहायता से किया जाकर मेथेनॉल की पुष्टि की गई।

3. ज्वलनशील प्रदार्थ की उपस्थिति की पुष्टिः–थाना–मुहाना जिला–जयपुर (दक्षिण) मुकदमा नं0–809/19 धारा 302 आईपीसी प्रकरण के अन्तर्गत दहेज हत्या से सम्बन्धित प्रादर्श प्राप्त हुये। इनमें एक प्रादर्श गैस लाइटर भी प्राप्त हुआ जिसमें ज्वलनशील प्रदार्थ की उपस्थिति की राय मांगी गई। गैस लाइटर में भरे द्रव का गैस क्रोमेटोग्राफ उपकरण से परीक्षण कर LPG होने की पुष्टि की। साथ ही अन्य प्रादर्शो में ज्वलनशील पदार्थ की उपस्थिति बताई जाकर अनुसंधान को महत्वपूर्ण दिशा दी गई।

4. विस्फोटक प्रकरण में उच्च क्षमता के विस्फोटक RDX की पुष्टिः– थाना–रातानाडा जिला–जोधपुर पूर्व मर्ग नम्बर 13/18 के अन्तर्गत आर्मी के यूनिट परिसर में अचानक विस्फोटक पदार्थ के फटने से एक जवान की अकाल मृत्यु प्रकरण में मृतक के शरीर से लिया गया स्किन स्वाब व मैटेलिक पीस प्रादर्शे पर रसायानिक परीक्षण किया जा कर उच्च क्षमता के विस्फोटक पदार्थ RDX की उपस्थिति रिपार्ट की गई।

5. नशीले पदार्थ की पुष्टिः– थाना–फलौदी जिला–जोधपुर ग्रामीण मुकदमा नं0– 25/19 धारा 8/21 NDPS एक्ट प्रकरण में संदिग्ध से दो अलग अलग पदार्थ जप्त किये गये थे जिनमें स्मैक पदार्थ का होना बताया गया था। उक्त पदार्थो के माइक्रोकैमिकल व इन्स्ट्रूमेन्टल विश्लेषण करने पर प्रथम पदार्थ में स्मैक होने तथा दूसरे पदार्थ में स्मैक के बजाय अन्य NDPS घटक Alprazolam व सामान्य औषधि Paracetamol का मिश्रण होना बताकर अनुसंधान को नयी दिशा प्रदान की।

6. Synthetic Stimulant Drug की पुष्टिः– थाना–सिविल लाईन, जिला–अजमेर मुकदमा नं0–152/18 धारा 8/20, 8/22 NDPS Act प्रकरण में संदिग्ध के पास से जप्त दो अलग–अलग पदार्थों में चरस एवं Mephedrone बताया गया। उक्त प्रादर्शों के परीक्षण से उनमें Synthetic Stimulant Drug Mephedrone की पुष्टि की गई।

7. स्मैक आदि की पुष्टिः–थाना–अरनोद जिला–प्रतापगढ मुकदमा नं0–110/18 धारा 8/21 NDPS Act प्रकरण में संदिग्ध के पास से जप्त पाँच पदार्थ परीक्षण हेतु भेजे गये जिन्हे स्मैक पदार्थ बताया गया था। उक्त प्रादर्शो का Microchemical व Instrumental Analysis का विश्लेषण कर तीन पदार्थ स्मैक एवं दो पदार्थ Smack में मिलाने वाले टाँके बताये गये।

8. स्मैक के स्थान पर अन्य पदार्थ की उपस्थिति की पुष्टिः–थाना–भवानी मंडी, जिला–झालावाड मुकदमा नं0.–118/18 धारा 8/21 NDPS Act के प्रकरण में एक प्रादर्श भेजा गया, जिसे स्मैक पदार्थ बताया गया। उक्त प्रादर्श का विश्लेषण करने पर वह पदार्थ स्मैक के स्थान पर Benzodiazepen group एवं अन्य दवाईयों का मिश्रण होना पाया गया।

प्रलेख प्रकरणः-

1. व्हाइटनर के नीचे की लिखावट की पहचानः– श्रीमान् संयुक्त सचिव (प्रथम) लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान जयपुर से प्राप्त प्रकरण में विभिन्न खनन पट्टों पर व्हाइटनर लगाकर लिखावट लिखी हुई थी। इन दस्तावेजों का परीक्षण कर व्हाइटनर के नीचे की लिखावट को वैज्ञानिक विधियों से पठनीय (Decipher) कर राय दी गई। इस परीक्षण रिपोर्ट को जाँच में प्रभावी साक्ष्य के रूप में लिया गया।

2. फर्जी दस्तावेज परीक्षणः– थाना–श्यामनगर जिला–जयपुर दक्षिण, जयपुर के मुकदमा नं0–157/19, जयपुर में प्राप्त दस्तावेजों में भू–माफिया द्वारा बेशकीमती जमीन के फर्जी दस्तावेज बनवाये गये जिनका परीक्षण कर प्रकरण के अनुसंधान में महत्वपूर्ण दिशा प्रदान की गयी।

3. चैक में राशि परिवर्तन का परीक्षणः– माननीय विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, एन.आई.एक्ट प्रकरण संख्या–3, अजमेर के प्रकरण संख्या 54/18 में प्राप्त विवादग्रस्त चैक पर शब्दों में अंकित राशि एक लाख रूपये को सोलह लाख रूपये तथा अंकों में 100000/- को 1600000/- में परिवर्तित किये जाने के संबंध में महत्वपूर्ण राय दी गई।

4. सफेद स्याही के नीचे अंकित लिखावट का परीक्षणः–थाना–नयापुरा, जिला–कोटा शहर के मुकदमा नं0–534/2017 प्रकरण में प्राप्त विवादग्रस्त दस्तावेजों पर लगी सफेद स्याही (Whitener) के नीचे अंकित लिखावट के सम्बंध में राय चाही गई थी। अत्याधुनिक उपकरण Regula-4307 की सहायता से विवादग्रस्त लिखावट को Decipher कर प्रकरण के अनुसंधान हेतु महत्वपूर्ण राय दी गई।

5. फर्जी नोटों का परीक्षणः–थाना–सदर पाली जिला–पाली के मुकदमा नं0–140/18 प्रकरण में प्राप्त सौ रूपये के 5838 नोटों तथा 2000 रूपये के 1422 नोटों का परीक्षण कर उनके फर्जी होने एवं नोटों के कागजों का मिलान मुलजिमों से बरामद कागजों से करवाकर कागज एक प्रकार के होने की महत्वपूर्ण राय दी गई।

6. कूटरचित आर्म्स लाइसेंस दस्तावेज का परीक्षणः– थाना–एस.ओ.जी, पुलिस अधीक्षक–ए. टी.एस., राजस्थान, जयपुर के प्रकरण संख्या 27/17 में आर्म्स एक्ट के तहत जब्त दस्तावेजों में कूटरचित आर्म्स लाइसेंस आदि दस्तावेज बनाये गये जिनका परीक्षण कर प्रकरण के अनुसंधान में महत्वपूर्ण दिशा प्रदान की गयी।

7. सुसाईड नोटो का प्रलेख परीक्षणः– थाना–जसरासर जिला–बीकानेर में युवक की मौत पर, एस.एच.ओ. लाईन हाजिर प्रकरण, जोधपुर थाना मण्डोर में सहकर्मी नर्सिंग स्टाफ पर आत्महत्या को दुष्प्रेरित करने के मामले में सुसाईड नोट का परीक्षण, जालोर थाना चितलवाना में युवक द्वारा

आत्महत्या, जैसलमेर थाना नाचना में बुजुर्ग के द्वारा फंदा लगाकर आत्महत्या, बीकानेर थाना पूंगल में सिरफिरे युवक से परेशान नाबालिग छात्रा के आत्महत्या आदि मामले में सुसाईड नोटो का प्रलेख परीक्षण किया गया।

भौतिक प्रकरणः-

1. दुष्कर्म व हत्या से सम्बन्धित प्रकरण में पदचिन्हों का मिलानः– पुलिस थाना–अलीगढ, जिला–अलवर के अन्तर्गत मुकदमा सं. 244/19 धारा 363, 366 ए, 376 ए बी, 302, 201 आईपीसी व 5(I)(M)(R)/6 पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत 5 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म व हत्या से सम्बन्धित प्रकरण में घटनास्थल पर पाये गये पदचिन्हों व आरोपी के पदचिन्हों के मिलान सम्बन्धी परीक्षण कर अनुसांान में महत्वपूर्ण दिशा प्रदान की गई।

2. आगजनी प्रकरण में आग का कारण शोर्ट सर्किटः– पुलिस थाना–विधाधरनगर, जयपुर पश्चिम के अन्तर्गत मर्ग नम्बर 03/2019 धारा 174 सीआरपीसी के अन्तर्गत आग लगने के कारण मृत्यु सम्बन्धी प्रकरण में घटनास्थल निरीक्षण व शोर्ट सर्किट से सम्बन्धी प्रादर्शों का प्रयोगशाला परीक्षण कर अनुसंधान में महत्वपूर्ण दिशा प्रदान की गई।

3. बहुचर्चित धार्मिक कथा में आंधी, तूफान से पाण्डाल उखडने से हुई मौतों के कारण की जांचः– पुलिस थाना बालोतरा, जिला–बाडमेर के अन्तर्गत मुकदमा सं. 261/19 धारा 366, 304 ए आईपीसी के प्रकरण में जसोल गांव में आयोजित कथा में अचानक आंधी, तुफान व बरसात से टैन्ट/पाण्डाल उखडने से करंट लगने से कई लोगों की मुत्यु से सम्बन्धित प्रकरण में घटनास्थल का निरीक्षण व टैन्ट/पाण्डाल में प्रयुक्त वायरिंग का प्रयोगशाला परीक्षण कर करंट लगने के कारणों को ज्ञात कर अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया गया।

4. बहुचर्चित सामुहिक बलात्कार के प्रकरण में मुल्जिम की आवाज का परीक्षणः– पुलिस थाना–थानागाजी, जिला–अलवर के अन्तर्गत मुकदमा सं. 92/2019 धारा–147, 149, 323, 341, 354 ख, 376 डी, 506, 384, 342, 395, 365, 327, 365 आईपीसी व 3 (2)(अ)(1)(w) एस. सी./एस.टी. एक्ट में एक महिला के साथ सामुहिक बलात्कार के प्रकरण में मुल्जिम की आवाज का परीक्षण कर अनुसंधान में महत्पूर्ण दिशा प्रदान की गई।

घटनास्थल निरीक्षण : कुछ महत्त्वपूर्ण प्रकरण

1. संदिग्ध आत्महत्या प्रकरण में हत्या का खुलासा :– पुलिस थानाः– नसीराबाद सदर, जिला– अजमेर के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 329/19, धारा 302, 201 आई.पी.सी. के क्रम में एक महिला द्वारा संदिग्ध परिस्थितियों में कमरे में लगी खिड़की में चुनरी/दुपट्टा से फंदा लगाकर आत्महत्या की वारदात की सूचना प्राप्त होने पर मोबाईल फोरेन्सिक यूनिट, अजमेर द्वारा अपराध घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटनास्थल पर परिस्थितिजन्य साक्ष्यों व मृतका के गले पर पाए गये लिगेचर के निशान के आधार पर फोरेन्सिक यूनिट द्वारा मृतका के गले पर पाए गए लिगेचर के निशान चुनरी/दुपट्टा के न होकर एक समरूपी पतले तार/वायर यथासम्भव घटनास्थल पर मिले एक चार्जर मय यू.एस.बी. केबल से अपराध कारित होने की सम्भावना व्यक्त की गई, जिससे प्रकरण के खुलासे में सहायता मिली ।

2. आत्महत्या प्रकरणः–पुलिस थानाः अजमेर, जिला शासकीय रेलवे पुलिस (जी.आर.पी.) अजमेर के अन्तर्गत मर्ग. न. 28/2019, धारा 174 सी. आर.पी.सी. के क्रम में रेल डाक सेवा (आर.एम. एस) अजमेर कार्यालय में कार्यरत एक कार्मिक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में कार्यालय परिसर में लगे धात्विक जंगले में चदर से लटके होने की सूचना प्राप्त होने पर मोबाइल फोरेन्सिक यूनिट, अजमेर द्वारा अपराध घटनास्थल का निरीक्षण

किया गया। मृतक के सिर पर चोट का निशान तथा नीचे फर्श पर कई जगह रक्त के धब्बे पाए जाने से वारदात प्रथम दृष्टया संदिग्ध होना पाया गया। मोबाईल फोरेन्सिक यूनिट, अजमेर द्वारा घटनास्थल पर पाए गए परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर मृतक द्वारा सर्वप्रथम दो बनियान को आपस में बांध कर आत्महत्या का प्रयास में विफल होकर गिरने से मृतक के सिर पर चोट लगना तथा फर्श पर रक्त के धब्बे पाए जाने की सम्भावना व्यक्त की गयी तथा दूसरे प्रयास में मृतक द्वारा चदर की सहायता से फंदा बनाकर आत्महत्या किये जाने की सम्भावना व्यक्त की गयी, जिससे प्रकरण के खुलासे में सहायता मिली।

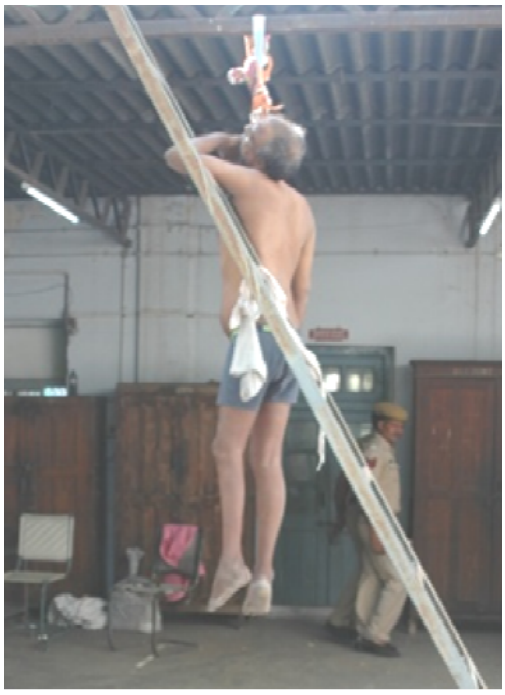

3. महिला की संदिग्ध हत्या प्रकरणः—मुकदमा नम्बर 123/2019 धाराः—302,380 आई.पी.सी. पुलिस थाना—सुभाष चौक जयपुर शहर (उत्तर) के प्रकरण में पलंग पर सोते हुये अवस्था में एक महिला के मुंह व नाक को तकिये से दबाकर हत्या करने सम्बन्धित घटना घटित हुई। घटनास्थल निरीक्षण करने पर तकिये पर मानव रक्त की उपस्थिति पायी गयी। पलंग पर बिछी चादर पर महिला बाल, नाक की लोंग, कांच की चुड़ियों के टूटे टुकड़े व कान के टॉप्स का पेच पड़ा हुआ पाया गया जिन्हें सैम्पलिंग कर एफ.एस. एल. भेजने हेतु उचित निर्देश प्रदान किये गये।

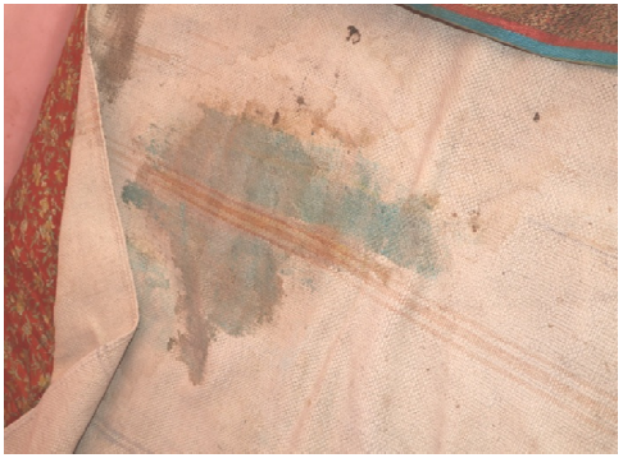

4. हत्या प्रकरणः—मुकदमा नम्बर 809/2019 धाराः 302 आई.पी.सी. पुलिस थाना—मुहाना जयपुर शहर (दक्षिण) प्रकरण में बैडनुमा सोफे पर एक व्यक्ति पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर हत्या करने की घटना घटित हुई। घटनास्थल निरीक्षण करने पर सोफे के जले गद्दे में, जले हुये पार्चेजातों में पेट्रोलियम पदार्थ जैसी गंध पायी गयी। घटनास्थल मकान की सीढियों में एक प्लास्टिक की बोतल में पदार्थ भरा हुआ पाया गया जिसमें पेट्रोलियम पदार्थ जैसी गंध पायी गयी। घटनास्थल मकान के बैडरूम में बैड पर पड़े बिस्तरों के नीचे एक गैस लाईटर पड़ा हुआ पाया गया जिन्हें सैम्पलिंग कर एफ.एस.एल. भेजने हेतु उचित निर्देश प्रदान किये गये।

5. हत्या प्रकरणः—मुकदमा नम्बर 232/2019 धाराः— 302,201 आई.पी.सी. पुलिस थाना—ट्रांसपोर्ट नगर जयपुर शहर (पूर्व) प्रकरण में एक महिला की प्लास्टिक की रस्सी से हाथ बांध कर व प्लास्टिक की रस्सी से गला घोट कर हत्या करने की घटना घटित हुई बताई। घटनास्थल

निरीक्षण में महिला के गले में रस्सी से गांठ लगी पायी गयी। महिला के हाथ रस्सी से बंधे पाये गये। महिला के पैर एक तौलिये से बंधे पाये गये। घटना स्थल कमरे में रखे दीवान के नीचे महिला उल्टी अवस्था में पड़ी पायी गयी। प्रादर्शों को सैम्पलिंग कर एफ.एस.एल. भेजने हेतु उचित निर्देश प्रदान किये गये।

6. आत्महत्या का प्रकरणः—मर्ग नम्बर 39/2019 धाराः 174 सी.आर.पी.सी. पुलिस थाना—मुहाना जयपुर शहर (दक्षिण) प्रकरण में एक महिला द्वारा स्वंय पर पेट्रोलियम पदार्थ डाल कर आग लगाकर आत्मदाह करने की घटना घटित हुई बताई गयी। घटनास्थल निरीक्षण में अपार्टमेंट पार्किंग में खड़ी स्वीफ्ट डिजायर कार में ड्राइवर सीट जली पायी गयी। सीट के जले हुये स्थान में पेट्रोलियम पदार्थ जैसी गंध पायी गयी। कार के ड्राइवर साईड के फाटक के पास बाहर की तरफ फर्श पर एक माचिस बॉक्स व एक जली हुई तिल्ली पायी गयी। कार के पीछे की तरफ पार्किंग स्थल की फर्श पर रखी एक प्लास्टिक की टंकी में एक खाली कांच बोतल पड़ी हुई पायी गयी। बोतल में पेट्रोलियम पदार्थ जैसी गंध पायी गयी जिन्हें सैम्पलिंग कर एफ.एस.एल. भेजने हेतु उचित निर्देश प्रदान किये गये।

7. हत्या का प्रकरणः—मुकदमा नम्बर 1101/2019 धाराः 302, 201 आई.पी.सी. पुलिस थाना—कानोता जयपुर शहर (पूर्व) प्रकरण में एक व्यक्ति का सिर पत्थर से कुचलकर हत्या करने की घटना घटित हुई बताई। घटनास्थल निरीक्षण में मृतक का सिर पत्थर द्वारा कुचला हुआ पाया गया। मृतक के सिर के पास खून आलूदा पत्थर पाया गया। मृतक के सिर की तरफ चारों ओर लगभग 8—10 फीट की दूरी में खून के छीटे व मांस के लोथड़े पड़े हुये पाये गये। मृतक की पैंट की जेब में चिपकने वाले जैसे पदार्थ की ट्यूब भरी हुई पायी गयी। तथा जेब में एक कपड़ा पाया गया जिस पर भी चिपकने वाला जैसा पदार्थ लगा पाया गया। ट्यूब में भरे पदार्थ एवं कपड़े पर लगे पदार्थ में तीखी गंध पायी गयी जिन्हें सैम्पलिंग कर एफ.एस.एल. भेजने हेतु उचित निर्देश प्रदान किये गये।

8. रहस्यमयी विस्फोट की घटना का पटाक्षेपः—एफ.आई.आर. संख्या 121/19 धारा 285, 286, 326, 337, 427 भा.द.स. थाना कोतवाली जिला डूंगरपुर अर्न्तगत स्थित निलकंठ पेट्रोल पम्प के कन्ट्रोल पैनल कक्ष में अत्यधिक तीव्रता के साथ विस्फोट की घटना हुई। अनेक व्यक्तियों के घायल होने के साथ कानून व्यवस्था बिगडने की स्थिति में जिला मोबाईल यूनिट ने सहरानीय कार्य करते हुये लिक्विड फ्यूल की ज्वलनशील वाष्प पदार्थ के पहुँचने का मार्ग (पाईप) का पता लगाते हुये वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर घटना का पटाक्षेप कर आंशकाओं / अफवाहों पर विराम लगाकर अनुसंधान में सहयोग दिया।

9. आत्महत्या प्रकरणः—मुकदमा नम्बर 144/2019 धारा—498ए, 304 बी, आई.पी.सी. पुलिस—थाना आंधी जिला जयपुर (ग्रामीण) के अन्तर्गत गांव बगवाड़ा में 24 वर्षीया विवाहिता महिला के लटक कर संदिग्ध आत्महत्या करने के पश्चात शव मुर्दाघर पहुँचाने बाद टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, साक्ष्य संकलन एवं फोटोग्राफी दौरान कमरे दरवाजे में लगे कब्जों पर बाहयवल लगने से ताजा रगड़ के निशान, एवं दीवार में लगी लोहे की खूंटी पर भी दीवार पर लगा आसमानी सफेदी/ कलर लगा हुआ पाया गया। लटकने में उपयोग में लाई गई नेट चुन्नी के सिरे पर गांठ में तनाव /दबाव के स्थान में आसमानी सफेदी/कलर लगा हुआ पाया गया प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर महिला द्वारा अंदर से बंद कमरे में आत्महत्या करना प्रतीत होना बताया गया।

10. आत्महत्या प्रकरणः—मर्ग नम्बर 24/2019 धारा—174 सी.आर.पी.सी. पुलिस— थाना शाहपुरा— जिला जयपुर (ग्रामीण) के अन्तर्गत गांव लेटकावास में एक महिला द्वारा कमरे में ज्वलनशील पदार्थ डाल कर संदिग्ध आत्महत्या करने के प्रकरण में एफएसएल टीम द्वारा घटनास्थल व शव का निरीक्षण कर साक्ष्य संकलन एवं फोटोग्राफी दौरान मृतका द्वारा बैठकर जलने के पिगलक स्थिति में सामने व पीठ पर कार्बनसूट पाया गया तथा आंखों के पलकों पर जीवित अवस्था में जलने पर पलकें फोल्ड होने पर पलकों पर धनुषाकार अर्द्धरिंग में कार्बनसूट नही पाया गया प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर महिला द्वारा जीवित जलकर आत्महत्या करना प्रतीत होता है।

11. आत्महत्या प्रकरणः—मर्ग नम्बर 09/2019 धारा—174 सी.आर.पी.सी. पुलिस—थाना गोविन्दगढ़ जिला जयपुर (ग्रामीण) के अन्तर्गत विवाहिता द्वारा अपने पीहर में लटक कर संदिग्ध आत्महत्या करने के प्रकरण में मृतका की गर्दन पर सामने की तरफ मल्टीपल एवं गर्दन के पीछे आंशिक लिगेचर मार्क पाये गये तथा शरीर पर संघर्ष के निशान नही पाये गये। घटनास्थल पर लम्बी पतली रस्सी तीन लड़ी पायी गयी जिस पर त्वचा के अवशेष पाये गये। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर महिला द्वारा आत्महत्या करना प्रतीत होना बताया गया।

12. आत्महत्या प्रकरणः—मुकदमा नम्बर 966/2019 धारा—498ए, 304बी आई.पी.सी. पुलिस—थाना हरमाड़ा, जिला जयपुर (पश्चिम) के अन्तर्गत फर्श पर लेटी हुई अवस्था में कमरे की

खिड़की से चुन्नी बांध कर संदिग्ध आत्महत्या करने के प्रकरण में टीम द्वारा घटनास्थल व शव का निरीक्षण दौरान मृतका की गर्दन पर बंधी चुन्नी तनाव युक्त स्लाईडिंग नॉट से बंधी हुई पायी गयी मृतका की गर्दन पर सामने, बांयी तरफ अपबर्ड एवं दाहिनी तरफ डाउनबर्ड लिगेचर मार्क के निशान पाये गये तथा गर्दन के पीछे दबाव, रगड़, संघर्ष के निशान एवं लिगेचर मार्क के निशान नही पाये गये।

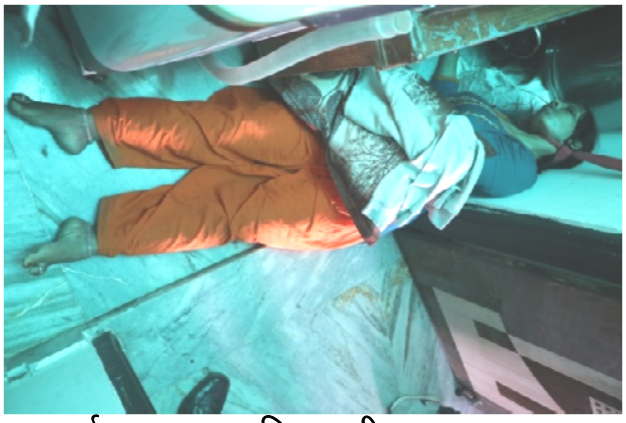

13. दुर्घटनावश व्यक्ति की मृत्यु प्रकरणः– मुकदमा नम्बर 46/2019 धारा–279, 304ए, 302 आई.पी.सी. पुलिस–थाना फागी, जिला जयपुर (ग्रामीण) के अन्तर्गत सड़क के किनारे मोटर साईकिल के साथ संदिग्ध दुर्घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु होने पश्चात टीम द्वारा घटनास्थल व मोटर साईकिल का निरीक्षण दौरान मोटर साईकिल पर अन्य वाहन से टकराने से लगने वाला फोरेन स्मीयर मेटेरीयल लगा हुआ नही पाया गया। घटनास्थल पर मिट्टी में बनी सकरी नाली के दोनो किनारों पर मोटर साईकिल के टायरों से बने रगड़ के निशान पाये गये प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर महज दुर्घटनावश व्यक्ति की मृत्यु होना प्रतीत होने की संभावना बताई गयी।

14. बालिका हत्या प्रकरणः– मुकदमा नम्बर 83/2019 धारा–302, 201 आई.पी.सी. पुलिस–थाना नाथद्वारा, जिला राजसमन्द से सम्बन्धित प्रकरण में आई.ओ. द्वारा लगभग 3 से 4 माह की मासूम बालिका की हत्या कर गाड़ना बताया गया। घटनास्थल निरीक्षण में कमरे में कच्चे फर्श पर रक्त पाया गया एवं पास में एक खड्डा खुदा हुआ था जिसमें रक्त पाया गया। मृतका बालिका के शव पर खड्डे की मिट्टी एवं रक्त पाया गया। बालिका की माता के हाथ अंगुलियों एवं चूड़ी पर भी रक्त पाया गया। जिससे बालिका की हत्या उसकी माता द्वारा ही करने की सम्भावना जताई जाकर अनुसंधान को नई दिशा प्रदान की।

राज्य विधि विज्ञान निदेशालय की विभिन्न प्रयोगशालाओं एवं जिला मोबाइल फोरेंसिक यूनिट्स का पता व दूरभाष

राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला राजस्थान, जयपुर	
निदेशक राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला नेहरू नगर, जयपुर, 302016	0141–2301584, 0141–2301859 (फैक्स), 9413385400 ई–मेल: director.fsl@rajasthan.gov.in
लोक सूचना अधिकारी राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला उपनिदेशक (अपराध घटनास्थल)	0141–2301072, 0141–2302217 9413385401
सतर्कता अधिकारी	0141–2301584
क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जोधपुर	
अतिरिक्त निदेशक क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला 8 मील चुंगी नाका, नागौर रोड, मण्डोर, जोधपुर	0291–2577966, 2577259 ई–मेल: rfsl.jodhpur.fsl@rajasthan.gov.in
क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उदयपुर	
अतिरिक्त निदेशक क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला फोरेंसिक हाऊस, चित्रकूट नगर, बुहाना–प्रतापनगर बाईपास, उदयपुर	0294–2980133 ई–मेल: rfsl.udaipur.fsl@rajasthan.gov.in
क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, कोटा	
अतिरिक्त निदेशक क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला फोरेंसिक हाऊस, आर.ए.सी. ग्राउण्ड, रावतभाटा लिंक रोड, कोटा	0744–2401644, 2400644 ई–मेल: rfsl.kota.fsl@rajasthan.gov.in
क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, बीकानेर	
उप निदेशक क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला 10वीं आर.ए.सी बटालियन के पीछे, करणी नगर, बीकानेर–334003	0151–2242873 ई–मेल: rfsl.bikaner.fsl@rajasthan.gov.in
क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, अजमेर	
सहायक निदेशक प्रभारी, क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला जनाना हास्पिटल के सामने, सीकर रोड, अजमेर	9929953199 ई–मेल: rfsl.ajmer.fsl@rajasthan.gov.in
क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, भरतपुर	
अतिरिक्त निदेशक क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला 221, बापू नगर, भूरी सिंह व्यायामशाला के पास, भरतपुर	9079690120 ई–मेल: rfsl.bharatpur.fsl@rajasthan.gov.in

जिला मोबाईल फोरेंसिक यूनिट्स

राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला राजस्थान			
क्र0 सं0	**जिला यूनिट**	**पदस्थापित अधिकारी / कर्मचारी**	**पता एवं मोबाइल नम्बर**
		जयपुर रेन्ज	
1	जयपुर (शहर)	श्री पूरण प्रकाश योगी, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्री पूरणमल शर्मा, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	Mobile Forensic Unit (Jaipur City) Forensic Campus, Nehru Nagar, Jaipur- 302016; 9413385402(M)
2	जयपुर (ग्रामीण)	श्री हरी सिंह सैनी, वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक श्री गिर्राज पाठक, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	Mobile Forensic Unit (Jaipur Rural) Forensic Campus, Nehru Nagar, Jaipur- 302016; 9413385403(M)
3	सीकर	श्री आकाश मित्तल, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	Mobile Forensic Unit Guest House Building, Police Line, Sikar- 332 001, 9413385613 (M)
4	झुन्झुनू	श्री आकाश मित्तल, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक श्री संजय मावलिया, कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक	Mobile Forensic Unit, Police Line, Jhunjhunu- 333 001 9413385618 (M) 7023301783
5	दौसा	श्री मान सिंह मीणा, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	Mobile Forensic Unit, Purani Nijamat, Lalsot Road, Dausa- 303 303 9413385612 (M)
6	अलवर	डॉ0 राहुल दीक्षित, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी	Mobile Forensic Unit, Old Arawali Vihar, Near Police Station, Alwar- 301001 9829014636 (M)
		अजमेर रेन्ज	
7	अजमेर	श्री संजय कुमार, वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक श्री विकास प्रजापत, प्रयोगशाला सहायक	Mobile Forensic Unit, Old RPSC Building, Ajmer- 305 001 9413385406, 9251012415 (M)
8	भीलवाड़ा	श्री विनोद प्रजापत, प्रयोगशाला सहायक	Mobile Forensic Unit, City Police Control Room, Bhilwara- 311 001, 9667184140 (M)
9	नागौर	श्री मनीष मौर्य, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	Mobile Forensic Unit, Traffic Police Station Campus, New Control Room, Nagaur, 9782358209 (M)
10	टोंक	श्रीमती नीलम जैन, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	Mobile Forensic Unit, 38, Police Line, Tonk- 304 001 7737805061,
		उदयपुर रेन्ज	
11	उदयपुर	श्री अभय प्रताप सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी	Mobile Forensic Unit, Forensic House, Chitrakoot Nagar, Buhana Byepass, Udaipur- 313 001, 9413385404, 9414041007 (M),
12	चित्तौडगढ़	श्री चन्द्रशेखर टांक, प्रयोगशाला सहायक	Mobile Forensic Unit, Police Line, Chittorgarh 9413385617, 7877210921 (M)
13	बाँसवाड़ा	श्री बलवन्त सिंह खज्जा, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी	Mobile Forensic Unit, Police Station Kotwali, Banswara. 9587436603, 9413384164 (M)
14	डूँगरपुर	श्री बलवन्त सिंह खज्जा, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (अतिरिक्त चार्ज)	Mobile Forensic Unit Quarter No. 111-8, Sabela Scheme, Dungarpur. 9413384153, 9587436603 (M)
15	राजसमंद	श्री अभय प्रताप सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी अतिरिक्त चार्ज	Mobile Forensic Unit, R.K. Govt. Hospital, Rajsamand , 9413385404, 9414041007 (M)
16	प्रतापगढ़	श्री बलवन्त सिंह खज्जा, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (अतिरिक्त चार्ज)	Mobile Forensic Unit, Ist Floor, Office of Dy.SP. Pratapgarh. 9587436603, (M)

कोटा रेन्ज			
17	कोटा सिटी / ग्रामीण	श्री कमलेश कुमार पंकज, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्री कपिल गौड, प्रयोगशाला सहायक	Mobile Forensic Unit, Forensic House, Rawatbhata Link Road, Kota-324009, 8764851107, 9785033805
18	झालावाड़	सुश्री अल्का चायल, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	Mobile Forensic Unit, Police Line, Jhalawar. 9468859245 (M)
19	बूँदी	श्री शम्भू दयाल मालव, प्रयोगशाला सहायक	Mobile Forensic Unit, Police Line, Bundi. 9571806761 (M)
20	बाँरा	श्री कमलेश कुमार पंकज,वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (अतिरिक्त चार्ज)	Mobile Forensic Unit, Police Line, Baran. 9785033805, 8764851107 (M)
बीकानेर रेन्ज			
21	बीकानेर	अरीना जैन, , कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	Mobile Forensic Unit, 108, Transit Hostel, GAD Colony, Pawanpuri, Bikaner- 334 003, 9413385409, 9079109051(M)
22	चूरू	श्री कृष्ण कुमार, प्रयोगशाला सहायक	Mobile Forensic Unit, Police Line, Churu -331 001 9610526683 (M)
23	श्रीगंगानगर	श्री लोकेश कुमार, कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक	Mobile Forensic Unit, Opp. Chief Medical and Health Office, Old Hospital, Railway Station Road, Sriganganagar- 335 001, 9413385615, 9414950095 (M)
24	हनुमानगढ़	श्री लोकेश कुमार, कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक	Mobile Forensic Unit, Police Line, Hanumangarh. 9413385615 (M)
जोधपुर रेन्ज			
25	जोधपुर सिटी / ग्रामीण	हिना पंवार, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	Mobile Forensic Unit, Forensic House, 8 Mile Chungi Naka, Nagaur Road, Mandor, Jodhpur. 7665843533, 8949305310(M)
26	पाली	श्री बिजाराम प्रजापत, प्रयोगशाला सहायक	Mobile Forensic Unit, Police Line, Pali. 9784439616(M)
27	जालौर	श्री जगदीश विश्नोई, प्रयोगशाला सहायक	Mobile Forensic Unit, Police Line, Jalore. 8562828297(M)
28	जैसलमेर	श्री नवीन गहलोत, प्रयोगशाला सहायक	Mobile Forensic Unit, Police Line, Jaisalmer- 345 001 9413384156(M), 9784181011 (M)
29	सिरोही	श्री अभय प्रताप सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (अतिरिक्त चार्ज)	Mobile Forensic Unit, 84/III/37 GAD Colony, Near RTO Office, Sirohi. 9413385404, 9414041007
30	बाड़मेर	श्री नवीन गहलोत, प्रयोगशाला सहायक	Mobile Forensic Unit, Police Line, Barmer. 9413384158, 9784181011 (M)
भरतपुर रेन्ज			
31	भरतपुर	श्री दीपक कुमार, वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक,	Mobile Forensic Unit, Traffice Police Building, Traffic Chauraha, Bharatpur- 321 008 8114477042, 9694643847 (M)
32	सवाईमाधोपुर	श्री सुनील कुमार सिंघल, वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक श्री रामावतार प्रजापत, प्रयोगशाला सहायक	Mobile Forensic Unit, Polytechnic College Road, Near Rajpootana Bio Tech. Pvt. Ltd., Teengal, Sawai Madhopur-8104752701, 9462815151 (M)
33	धौलपुर	श्री दीपक कुमार, वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक,	Mobile Forensic Unit, Old S.P. Office (Court Campus) Dholpur. 8114477042, 9694643847 (M)
34	करौली	श्री अरूण कुमार चतुर्वेदी, प्रयोगशाला सहायक	Mobile Forensic Unit, Kotwali Campus, Karauli. 9460762379(M)

वर्ष 2019 में स्थापित किये गये प्रमुख उपकरणों की सूची

मुख्य प्रयोगशाला जयपुर एवं क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में क्रय एवं स्थापित किये गये महत्वपूर्ण उपकरणों की सूचीः–

S.No.	Name of Item	No.of Item	Amount cost (In Rupees)
1.	Genetic Analyzer (Gene sequencer) with accessories	01	16818303.00
2.	Automated DNA Isolation System with quantification platform	01	14053240.00
3.	EDX8000	01	6783464.00
4.	Mobile Phone Forensic tool kit and accessories	01 Set	3488100.00
5.	Digital densitometer with auto sampler	01	2492415.00
6.	PCR machine	03	2389500.00
7.	Refrigerated Centrifuge	04	1994200.00
8.	Internet evidence finder or equivalent software with accessories	01	742902.00
9.	High speed imaging device, High speed write blockers and accessories	01	655567.00
10.	DVR related analytical software/hardware and accessories	01	630228.00
11.	Compressive strength testing machine for building material with accessories	01	600600.00
12.	3(c) Micro pipettes	04 Sets	599440.00
13.	Password recovery software, helix pro software and accessories	01	576986.00
14.	Separating funnel shaker	01	466618.00
15.	Tensile strength equipment and accessories	01	429660.00
16.	Thermo mixer	02	399430.00
17.	Borescope with adjustable focus with video camera	01	394120.00
18.	Plate Centrifuge	04	365800.00
19.	Water Bath	01	357492.00
20.	Portable Forensic Light Source	04	299900.00
21.	Vortex	06	290563.00
22.	Environmental Decontamination system	01	267150.00
23.	Crime Scene Digital Camera	02	249994.00
24.	Digital electronic hot air oven	01	246273.00
25.	Mini Centrifuge	04	199420.00
26.	Multipurpose digital shaker	01	193040.00
27.	Bore scopes/video inspection camera	01	189420.00
28.	Miscellaneous Petroleum Testing Apparatus with digital temperature control & safety measure	01set	169387.00
29.	Digital Coating Thickness Measuring Instrument	01	145530.00

मुख्य प्रयोगशाला जयपुर में सी.एम.सी./अपग्रेड/रिपेयर उपकरणों की सूचीः–

Item No.	Name of Item	Quantity
1	DNA Sequencer	1
2	Varity PCR Machine	1
3	PCR Machine	1
4	XRY Version 7.11.1 and XMN Spotlight With Support and Cables	1
5	Encase Forensic Version 8.05 with Support and Hardware	1

विशेष पहल एवं वर्ष 2019 की महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ

1. एफ.एस.एल में अभियान चलाकर वर्ष 2019 में गत पॉच वर्षो की तुलना में सबसे अधिक 39,240 प्रकरणो का निस्तारण किया गया। जघन्य अपराध जिसमें पोक्सो संबंधी अपराध शामिल है उन्हें विशेष प्राथमिकता पर परीक्षण किया गया । शून्य से 12 वर्ष तक के अबोध बालक/ बालिकाओं के साथ हुये दुष्कर्म प्रकरणों को सर्वोच्च प्राथमिकता पर परीक्षण कर रिपोर्ट 15 दिवस में उपलब्ध करायी जा रही है।
2. आर.एफ.एस.एल भरतपुर हेतु कुल स्वीकृत राशि रूपये 21.71 करोड़ में से प्रथम चरण में प्राप्त राशि रूपये 1 करोड से क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, भरतपुर का भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया।
3. क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओ बीकानेर एवं अजमेर को नवनिर्मित भवन में स्थानान्तरित कर कार्य आरम्भ किया गया।
4. क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जोधपुर में जैविक खण्ड में परीक्षण कार्य प्रारम्भ किया गया है।
5. निर्भया फण्ड के अंतर्गत केन्द्र सरकार से 6.28 करोड़ रूपये एवं पुलिस आधुनिकीकरण के अन्तर्गत मुख्य प्रयोगशाला, जयपुर के डीएनए व साईबर खण्ड के सुदृढ़ीकरण हेतु अति आधुनिक आयातित उपकरणों/ सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराकर प्रकरणों के परीक्षण की त्वरित निस्तारण की कार्यवाही की गई।
6. आई.सी.जे.एस. प्रोजेक्ट के अंर्तगत बैंगलोर एन.आई.सी के सहयोग से एफ.एस.एल. राजस्थान के लिये विकसित करा ई–फोरेन्सिक सॉफ्टवेयर पर मुख्य प्रयोगशाला जयपुर एवं सभी छहः क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं मे प्राप्त व निष्पादित प्रकरणों का डाटा अपलोड का कार्य प्रारम्भ किया गया है।
7. एफ.एस.एल में काफी समय से लंबित/ विवादित रिव्यू डीपीसी प्रकरणों का निस्तारण कर 97 पदों की नियमित/रिव्यू डीपीसी की गई।
8. एफ.एस.एल. के लिए विभिन्न तकनीकी पदों 23 वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी एवं 28 कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के पदों के लिए भर्ती क्रमशः आरपीएससी एवं कर्मचारी चयन बोर्ड, राजस्थान के अधीन प्रक्रियाधीन है।

भविष्य की योजना

1. क्षेत्रीय प्रयोगशाला, जोधपुर में डीएनए परीक्षण की सुविधा प्रारम्भ किया जाना है।
2. मुख्य प्रयोगशाला, जयपुर में अतिआधुनिक साईबर फोरेन्सिक खण्ड हेतु पृथक भवन निर्माण करना।
3. मुख्य प्रयोगशाला, जयपुर में 'एडवांस्ड सेन्टर फॉर साईबर फोरेंसिक्स' की स्थापना।
4. क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला कोटा में नये नारकोटिक खण्ड एवं अजमेर में नये जैविक खण्ड की स्थापना।
5. राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों के पांच दशक पुराने कैडर का पुनर्गठन किया जाना है।

एफ.टी.आर.आई. जयपुर में ट्रेनिंग सुविधाओं का निरीक्षण करते हुए निदेशक एफ.एस.एल

एफ.टी.आर.आई. जयपुर में पुलिस अधिकारिओं को प्रशिक्षण देते हुए वैज्ञानिक

डी.एन.ए.भवन,राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर

क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जोधपुर

क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उदयपुर

क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, कोटा

राज्य विधि विज्ञान निदेशालय : अवस्थिति

- राज्य विधि विज्ञान मुख्यालय
- क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला
- जिला मोबाइल फोरेंसिक यूनिट

N
(Not to scale)

राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला

नेहरु नगर, जयपुर–302016

वेबसाईट : www.home.rajasthan.gov.in